69 th Bpsc Mains

+91-8877918018
Khan Global Studies

Economics
Indian Agriculture
भारतीय कृषि

By: Dr. Bharat Sir

KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6

KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

भारतीय कृषि

Dr. Bharat Sir

अध्याय 1 (भारतीय कृषि का वर्तमान परिदृश्य)

Broad changes in Indian agriculture and economy between 1950-51 and 2021-22

Indicator	Unit	1950-51	2021-22	Increase times	Compound growth rate %
Population	Person crore	35.9	136.9	3.81	1.90
Food production	Million tonne	106	936	8.83	3.12
Agri sector income	Rs. lakh crore at 2011-12 prices	2.91	21.15	7.27	2.83
Total economy	Rs. lakh crore at 2011-12 prices	4.79	136.24	28.44	4.83
Agri workers	crore	9.72	24.67	2.58	1.34
Total workers	crore	13.95	54.27	3.87	1.92

- पिछले कई वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जिसका अधिकांश कारण फसल और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने, मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को रिटर्न की निश्चितता सुनिश्चित करने, फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं। विविधीकरण, किसान-उत्पादक संगठनों की स्थापना के लिए दिए गए प्रोत्साहन के माध्यम से बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार और कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देना।
- भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुल कार्यबल का लगभग 54.6% कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल होने के साथ, यह क्षेत्र देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 17.8% का योगदान देता है। 2021-22 के दौरान, देश ने कुल कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया, जो 2020-21 में 41.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 20% की वृद्धि है।
- अपने ठोस अग्रिम संबंधों के साथ, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके देश की समग्र वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय कृषि क्षेत्र पिछले छह वर्षों के दौरान 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। 2020-21 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में इसमें 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाल के वर्षों में, भारत तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में भी उभरा है। 2020-21 में भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ गया। 2021-22 के दौरान, कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

Despite Covid-19 shock agriculture and allied sector shows resilient growth

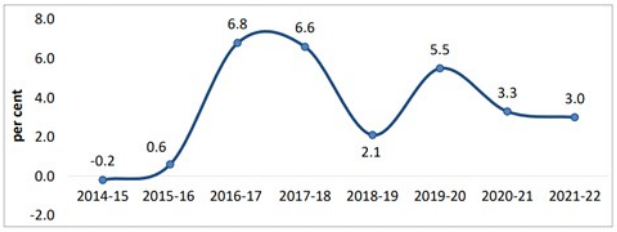

Source: MoSPI's Annual and Quarterly Estimates of GDP at constant prices, 2011-12 series.

- पिछले कई वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जिसका अधिकांश कारण फसल और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने, मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को रिटर्न की निश्चितता सुनिश्चित करने, फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं। विविधीकरण, किसान-उत्पादक संगठनों की स्थापना के लिए दिए गए प्रोत्साहन के माध्यम से बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार और कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देना।
- 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया।
- 2018 से सभी अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय किया गया है।
- कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण 2021-22 में बढ़कर 18. 6 लाख करोड़ हो गया
- भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई और 2021-22 में 315.7 मिलियन टन रहा।
- 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न।
- अप्रैल-जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में लगभग 11.3 करोड़ किसानों को योजना के तहत कवर किया गया था।
- कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसल कटाई के बाद सहायता और सामुदायिक फार्मों के लिए 13,681 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) योजना के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों के साथ ऑनलाइन, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी बोली प्रणाली लागू की गई।
- परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पहल के माध्यम से बाजरा को बढ़ावा देने में भारत सबसे आगे है।

भारतीय कृषि की विशेषताएं

1. **जीविका कृषि:** भारत के अधिकांश हिस्सों में निर्वाह कृषि होती है जो कई सैकड़ों वर्षों से भारत में प्रचलित है और अभी भी प्रचलित है।
2. **कृषि पर जनसंख्या का दबाव:** शहरीकरण और औद्योगीकरण में वृद्धि के बावजूद, लगभग 70% आबादी अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।
3. **कृषि में मशीनीकरण:** चालीस से अधिक वर्षों के बाद भी हरित क्रांति और कृषि मशीनरी और उपकरणों में क्रांति, पूर्ण मशीनीकरण अभी भी हासिल नहीं हुआ है।
4. **मानसून पर निर्भरता:** बड़े पैमाने पर विस्तार के बावजूद, आज कुल फसली क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई ही सिंचित है। परिणामस्वरूप, दो-तिहाई फसली क्षेत्र अभी भी मानसून पर निर्भर हैं।
5. **फसलों की विविधता:** चूँकि भारत में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु है, इसलिए भारत में दोनों जलवायु की फसलें पाई जाती हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनमें भारत जैसी विविधता है। आपको इसका एहसास तब होगा जब हम विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
6. **खाद्य फसलों की प्रधानता:** देश में लगभग हर जगह खाद्य फसलों का उत्पादन किसानों की प्राथमिकता है।
7. **मौसमी पैटर्न:** भारत में तीन अलग-अलग कृषि/फसल मौसम हैं- खघ्रीफ, रबी और जैद। भारत में इन तीन ऋतुओं में विशिष्ट फसलें उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, चावल एक खघ्रीफ फसल है जबकि गेहूँ एक रबी फसल है।
8. **श्रम गहन खेती:** जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि जोत पर दबाव बढ़ गया। भूमि जोत खंडित और उप-विभाजित हो जाती है और अलाभकारी हो जाती है। ऐसे खेतों पर मशीनरी और उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
9. **रोजगार के अंतर्गत:** अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं और अनिश्चित वर्षा के कारण कृषि का उत्पादन कम होने के कारण किसानों को साल में कुछ महीने ही काम मिल पाता है। उनकी कार्य क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। कृषि में अल्प रोजगार के साथ-साथ प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है।
10. **जोत का छोटा आकार:** बड़े पैमाने पर उप-विभाजन और जोत के विखंडन के कारण, भूमि जोत का आकार काफी छोटा है। भारत में भूमि जोत का औसत आकार 2.3 हेक्टेयर था जबकि ऑस्ट्रेलिया में यह 1993 हेक्टेयर और संयुक्त राज्य अमेरिका में 158 हेक्टेयर था।
11. **उत्पादन के पारंपरिक तरीके:** भारत में उपकरणों के साथ-साथ कृषि उत्पादन के तरीके भी पारंपरिक हैं। इसका कारण लोगों की गरीबी और अशिक्षा है। कम उत्पादन का मुख्य कारण पारंपरिक तकनीक है।

भारतीय कृषि में चुनौतियाँ/समस्याएँ

➢ प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति से भारत में कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है, लेकिन इस क्षेत्र को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी उत्पादकता और स्थिरता को प्रभावित करती हैं। यहां कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिनका भारत में यह क्षेत्र सामना कर रहा है...

1. **ऋण और वित्त तक पहुंच का अभाव:** छोटे और सीमांत किसानों को अक्सर ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किफायती ऋण की सीमित उपलब्धता आधुनिक कृषि उपकरणों और गुणवत्ता वाले बीजों और उर्वरकों में निवेश करने की उनकी क्षमता को सीमित कर देती है, जिससे उनकी उत्पादकता में बाधा आती है।
2. **छोटी जोत:** औसत किसान छोटे भूमिधारक होते हैं, जिसके कारण खेती के तरीके खंडित और अलाभकारी होते हैं। इससे उनके लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता कम हो जाती है।
3. **पुरानी कृषि पद्धतियाँ:** भारतीय किसानों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पारंपरिक और पुरानी खेती के तरीकों पर निर्भर है। जानकारी तक सीमित पहुंच, आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने में बाधा डालता है।
4. **जल की कमी एवं सिंचाई:** भारत की कृषि काफी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर है, जो इसे सूखे और असंगत वर्षा पैटर्न के प्रति संवेदनशील बनाती है। सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच और जल प्रबंधन महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, खासकर सीमित जल संसाधनों वाले क्षेत्रों में।
5. **मृदा क्षरण एवं भूमि कटाव:** अनुचित भूमि उपयोग प्रथाएं, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और अपर्याप्त मृदा संरक्षण उपाय मिट्टी के क्षरण और कटाव में योगदान करते हैं। इससे कृषि उत्पादकता कम होने के अलावा,

मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

6. **अपर्याप्त कृषि अवसंरचना:** अपर्याप्त भंडारण और कोल्ड चेन सुविधाएं, अपर्याप्त ग्रामीण सड़कें और बाजारों तक सीमित पहुंच फसल के बाद के नुकसान में योगदान करती है। बुनियादी ढांचे की ये कमी उत्पादन की लागत को बढ़ाती है और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करती है।
7. **बाजार में अस्थिरता और कीमत में उतार-चढ़ाव:** भारत में किसानों को अक्सर प्रभावी बाजार संपर्क, बिचौलियों और मूल्य जानकारी की कमी के कारण मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इससे वे मूल्य शोषण और अपने निवेश पर अनिश्चित रिटर्न के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
8. **जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ:** तेजी से अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, जलवायु परिवर्तन और बाढ़, चक्रवात और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं देश के कृषि उद्योग के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती हैं। इन घटनाओं से फसल की हानि, पशुधन मृत्यु और किसानों के लिए असुरक्षा बढ़ सकती है।
9. **प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान तक सीमित पहुंच:** कृषि विस्तार सेवाओं, आधुनिक प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित पहुंच नवीन प्रथाओं को अपनाने में बाधा डालती है। किसानों को ज्ञान के बेहतर प्रसार, प्रशिक्षण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप किफायती प्रौद्योगिकी समाधानों तक पहुंच की आवश्यकता है।
10. **किसानों के सशक्तिकरण का अभाव:** नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में किसानों की आवाज और प्रतिनिधित्व अक्सर अपर्याप्त होता है। प्रतिबंधित किसानों के सशक्तिकरण और भागीदारी के परिणामस्वरूप ऐसी नीतियां और पहल होती हैं जो उनकी विशिष्ट चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं कर पाती हैं।
11. **मानसून पर निर्भरता:** भारतीय कृषि काफी हद तक मानसून की बारिश पर निर्भर करती है, और अनियमित या अपर्याप्त वर्षा से सूखा या बाढ़ आ सकती है, जिससे फसल की पैदावार और किसानों की आय प्रभावित हो सकती है।
12. **सिंचाई सुविधाओं का अभाव:** सिंचाई के महत्व के बावजूद, भारत में कृषि भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्षा पर निर्भर है। मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विस्तार महत्वपूर्ण है

कृषि का महत्व

➢ कृषि दुनिया भर के समाजों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके महत्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है:

1. **खाद्य सुरक्षा:** कृषि खाद्य उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है। यह मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक आवश्यक पोषक तत्व और जीविका प्रदान करता है। स्थिर और पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना कृषि की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है।
2. **आर्थिक योगदान:** किसी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है, विशेषकर विकासशील देशों में। यह आय भी उत्पन्न करता है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देता है।
3. **ग्रामीण विकास:** कृषि अक्सर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यह ग्रामीण आजीविका का समर्थन करता है, गरीबी कम करता है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देता है। कृषि में निवेश से इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार हो सकता है।
4. **कच्चा माल:** कृषि विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करती है। कपास, जूट और रबर जैसी फसलें कपड़ा और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं, जबकि गन्ना जैसी फसलों का उपयोग चीनी और इथेनॉल के उत्पादन में किया जाता है।
5. **निर्यात और व्यापार:** कई देश निर्यात के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जो विदेशी मुद्रा आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। कृषि निर्यात किसी देश के व्यापार संतुलन में योगदान देता है और इसके समग्र आर्थिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है।
6. **जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ:** कृषि पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करती है, और जिम्मेदार कृषि पद्धतियाँ जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का समर्थन कर सकती हैं। मृदा संरक्षण और जल प्रबंधन सहित स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।
7. **ऊर्जा उत्पादन:** कृषि इथेनॉल और बायोडीजल जैसे जैव ईंधन का स्रोत है, जो ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे सकता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकता है।
8. **सांस्कृतिक और विरासत महत्व:** कृषि कई समाजों की सांस्कृतिक पहचान और विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है। यह परंपराओं, त्योहारों और स्थानीय रीति-रिवाजों को प्रभावित करता है, सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि में योगदान देता है।
9. **अनुसंधान और नवाचार:** कृषि फसल प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी से लेकर टिकाऊ कृषि पद्धतियों तक विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देती है। इस शोध के व्यापक अनुप्रयोग हैं, जिनमें चिकित्सा और पर्यावरण विज्ञान भी शामिल है।
10. **जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन:** टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ मिट्टी में कार्बन को सोखकर और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती हैं। यह बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल भी हो सकता है।
11. **मानव स्वास्थ्य:** कृषि न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि खाद्य आपूर्ति की गुणवत्ता और सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और भोजन से संबंधित बीमारियों को कम करने के लिए उचित कृषि पद्धतियाँ महत्वपूर्ण हैं।
12. **वैश्विक अंतर्संबंध:** कृषि एक वैश्विक उद्योग है, जिसमें देशों के बीच व्यापार और सहयोग होता है। यह वैश्विक स्तर पर खाद्य कीमतों को स्थिर करने और संसाधनों तक पहुंच में मदद करते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देता है।

- खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और दुनिया भर में समुदायों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। इसका महत्व केवल भोजन उपलब्ध कराने से कहीं अधिक है; इसका समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

भारत में कृषि सुधार

- भारत में कृषि सुधार कई दशकों से चर्चा और नीतिगत हस्तक्षेप का विषय रहे हैं। इन सुधारों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण और सुधार करना, किसानों की आय और जीवन स्तर में वृद्धि करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्थिरता को बढ़ावा देना है। भारत में कुछ प्रमुख कृषि सुधार और पहलों में शामिल हैं:

1. **हरित क्रांति (1960 और 1970):** भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज वाली फसल किस्मों को अपनाना, उर्वरकों और कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग और सिंचाई का विस्तार शामिल था। इससे कृषि उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
2. **भूमि सुधार:** भूमि सुधार उपायों का उद्देश्य भूमि असमानता को कम करना और भूमि स्वामित्व पैटर्न में सुधार करना है। इन सुधारों में भूमि पुनर्वितरण, किरायेदारी सुधार और बिचौलियों का उन्मूलन शामिल था।
3. **राष्ट्रीय कृषि नीति (2000):** राष्ट्रीय कृषि नीति में सतत कृषि विकास, बेहतर जल प्रबंधन और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
4. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (2007):** इस मिशन का लक्ष्य चावल, गेहूं और दालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लक्षित जिलों में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना है। इसने उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया।
5. **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (2015):** यह योजना सिंचाई कवरेज का विस्तार करने और कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य जल संसाधनों और फसल उत्पादकता को बढ़ाना है।
6. **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) (2016):** पीएमएफबीवाई एक फसल बीमा योजना है जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
7. **ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) (2016):** ई-एनएएम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो देश भर के कृषि उपज बाजारों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना, बिचौलियों को कम करना और किसानों के लिए बेहतर कीमतें सुनिश्चित करना है।
8. **कृषि विपणन सुधार:** भारत में कई राज्यों ने कृषि उपज के विपणन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने, बिचौलियों की भूमिका को कम करने और अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बाजार बनाने के लिए कृषि विपणन सुधारों को लागू किया है।
9. **मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम (2016):** कुछ राज्यों ने भूमि पट्टे की सुविधा के लिए इस अधिनियम को अपनाया है, जिससे भूस्वामियों के लिए अपनी भूमि पट्टे पर देना और किरायेदारों के लिए खेती के लिए भूमि तक पहुंच आसान हो गई है।
10. **उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** इस योजना का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली लागू करके उर्वरक सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना है जहां सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
11. **कृषि अवसंरचना निधि (2020):** इस फंड का उद्देश्य फसल के बाद के बुनियादी ढांचे, जैसे कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और कृषि-रसद के निर्माण का समर्थन करना है, ताकि फसल के बाद के नुकसान को कम किया जा सके और किसानों की आय में सुधार किया जा सके।
12. **कृषि बिल (2020):** 2020 में, भारत ने तीन विवादास्पद कृषि बिल पेश किए: किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता। इन विधेयकों का उद्देश्य कृषि बाजारों को उदार बनाना है, जिससे किसानों को अपनी उपज सीधे खरीदारों और कृषि व्यवसायों को बेचने की अनुमति मिल सके। सुधारों ने फसल की कीमतों और कुछ फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंतित किसानों से काफी बहस और विरोध उत्पन्न किया।

ये भारत में कुछ प्रमुख कृषि सुधार और पहल हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृषि सुधार एक सतत प्रक्रिया है, और क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए नीतिगत उपाय विकसित होते रहते हैं। विशिष्ट सुधार और उनके प्रभाव भारत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं।

भारतीय कृषि में पहल

- भारत ने कृषि क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिरता में सुधार करने के लिए विभिन्न पहल और कार्यक्रम लागू किए हैं। भारतीय कृषि में कुछ महत्वपूर्ण पहलों में शामिल हैं:

1. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई):** 2015 में शुरू की गई, पीएमकेएसवाई का लक्ष्य सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार करना और कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। इसमें सूक्ष्म सिंचाई, वाटरशेड विकास और खेत तालाबों के निर्माण की योजनाएं शामिल हैं।
2. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):** 2016 में शुरू की गई यह फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
3. **ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार):** ई-एनएएम एक ऑनलाइन मंच है जो देश भर के कृषि उपज बाजारों को जोड़ता है, कृषि व्यापार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है।

4. **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:** 2015 में शुरू किया गया, यह कार्यक्रम किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करता है, जिसमें मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर और उचित उर्वरक के लिए सिफारिशों की जानकारी होती है, जिससे बेहतर मिट्टी प्रबंधन संभव हो पाता है।
5. **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना:** केसीसी योजना किसानों को कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करती है। यह किसानों को उनकी खेती की जरूरतों के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में मदद करता है।
6. **कृषि अवसंरचना निधि:** 2020 में लॉन्च किया गया, यह फंड फसल के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों की आय में सुधार करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और कृषि-रसद सहित फसल के बाद के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करता है।
7. **पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि):** 2019 में शुरू की गई यह आय सहायता योजना पात्र छोटे और सीमांत किसानों को उनकी आय के पूरक के लिए सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करती है।
8. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई):** आरकेवीवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा देने और कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित विभिन्न कृषि विकास गतिविधियों में राज्यों का समर्थन करती है।
9. **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई):** यह योजना जैविक खेती और प्रमाणीकरण को बढ़ावा देती है। यह किसानों को पारंपरिक और जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
10. **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए):** एनएमएसए जलवायु-लचीली और टिकाऊ कृषि पद्धतियों, जल-उपयोग दक्षता और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
11. **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम):** एनएचएम उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन के लिए सहायता प्रदान करके बागवानी फसलों के विकास को बढ़ावा देता है।
12. **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच):** एमआईडीएच एक व्यापक योजना है जो विभिन्न बागवानी विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करके बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास का समर्थन करती है।
13. **तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी):** एनएमओओपी तिलहन उत्पादन बढ़ाने, आयात निर्भरता कम करने और चुनिंदा राज्यों में पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
14. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम):** एनएलएम का लक्ष्य पशुधन उत्पादकता, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार करके पशुधन विकास को बढ़ावा देना है।
15. **कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन:** यह उप-मिशन कृषि उत्पादकता बढ़ाने और कठिन परिश्रम को कम करने के लिए कृषि मशीनरी और उपकरणों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।
16. **मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम):** हालांकि मनरेगा विशेष रूप से एक कृषि पहल नहीं है, मनरेगा ग्रामीण रोजगार के अवसर प्रदान करता है और जल संरक्षण और भूमि विकास सहित ग्रामीण विकास गतिविधियों का समर्थन करता है, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ होता है।

ये पहलें सिंचाई और फसल बीमा से लेकर मृदा स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास तक भारतीय कृषि के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका लक्ष्य किसानों की आय और आजीविका बढ़ाना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व प्रणाली

- प्राचीन काल से ही राजा-महाराजाओं के लिए भूमि से कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था। लेकिन भूमि के स्वामित्व पैटर्न में सदियों से बदलाव देखे गए हैं।
- राजत्व के दौरान भूमि को जागीरों में विभाजित किया जाता था, जागीरें जागीरदारों को आवंटित की जाती थींजागीरदारोंउन्हें प्राप्त भूमि को विभाजित कर अधीनस्थ जमींदारों को आवंटित कर दिया गया। जमींदार किसानों से जमीन पर खेती कराते थे, बदले में उनसे राजस्व का कुछ हिस्सा कर के रूप में वसूल करते थे।
- भारत में भू-राजस्व संग्रहण की तीन प्रमुख प्रणालियाँ विद्यमान थीं। वे थे - जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी।

1. **जमींदारी प्रथा (स्थायी भू-राजस्व बंदोबस्त)**
   - जमींदारी प्रथा 1793 में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी।
   - इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी प्रांतों में पेश किया गया था।
   - इसे स्थायी निपटान प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है।
   - जमींदारोंभूमि के स्वामी के रूप में पहचाने गए। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया।
   - जबकि जमींदार भूमि के मालिक बन गए, वास्तविक किसान किरायेदार बन गए।
   - कम उपज के समय भी कर देना पड़ता था।
   - कर का भुगतान नकद में किया जाना था। इस प्रणाली को शुरू करने से पहले, कर का भुगतान वस्तु के रूप में किया जा सकता था।
   - प्राप्त राशि को 11 भागों में विभाजित किया जाएगा। 1/11 हिस्सा जमींदारों का और 10/11 हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का था।
2. **रैयतवाड़ी व्यवस्था**
   - रैयतवारी प्रणाली 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी।
   - यह दक्षिण भारत की प्राथमिक भू-राजस्व प्रणाली थी।
   - परिचय के प्रमुख क्षेत्रों में मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ हिस्से और ब्रिटिश भारत के कूर्ग प्रांत शामिल हैं।

- रैयतवाड़ी व्यवस्था में मालिकाना हक किसानों को सौंप दिया गया। ब्रिटिश सरकार किसानों से सीधे कर वसूल करती थी।
- रैयतवारी प्रणाली की राजस्व दरें 50% थीं जहां भूमि शुष्क थी और 60% सिंचित भूमि थी।
- हालाँकि भूमि का स्वामित्व किसानों के पास था, लेकिन अत्यधिक कर ने उन्हें गरीब बना दिया। इसके अलावा, कर की दरें बार-बार बढ़ाई गईं।

3. महलवाड़ी व्यवस्था

- महलवारी प्रणाली की शुरुआत 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा की गई थी। बाद में, विलियम बेंटिक (1833) के काल में इस प्रणाली में सुधार किया गया।
- यह उत्तर-पश्चिम भारत में प्राथमिक भू-राजस्व प्रणाली थी।
- इसे ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर-पश्चिम सीमांत, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी आदि में पेश किया गया था।
- इस व्यवस्था में भूमि को महलों में विभाजित किया गया। प्रत्येक महल में एक या अधिक गाँव शामिल हैं।
- कर संग्रहण के लिए पूरे गाँव (महल) को एक इकाई माना जाता था।
- ग्राम प्रधान या ग्राम समिति को कर एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
- स्वामित्व अधिकारकिसानों के पास निहित थे।
- इस व्यवस्था में भी कर की दर अत्यधिक थी।
- महलवारी व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था दोनों के कई प्रावधान थे।

भारत में भूमि सुधार

- भारत में भूमि सुधार आमतौर पर अमीरों से गरीबों तक भूमि के पुनर्वितरण को संदर्भित करता है।
- भूमि सुधार अक्सर कृषि भूमि के पुनर्वितरण से जुड़े होते हैं और इसलिए यह कृषि सुधारों से भी संबंधित होते हैं।
- भूमि सुधारों में भूमि के स्वामित्व, संचालन, पट्टे, बिक्री और विरासत का विनियमन शामिल है (वास्तव में, भूमि के पुनर्वितरण के लिए कानूनी परिवर्तनों की आवश्यकता होती है)।
- 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत में भूमि सुधार देश की सामाजिक-आर्थिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। इन सुधारों का उद्देश्य भूमि असमानता को कम करने, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने पर ध्यान देने के साथ भूमि स्वामित्व, भूमि वितरण और भूमि उपयोग से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है। और ग्रामीण विकास का समर्थन करना।

भारत में प्रमुख भूमि सुधार

- जमींदारी प्रथा का उन्मूलन (1950): जमींदारी प्रथा भारत के कई हिस्सों में प्रचलित भूमि स्वामित्व की एक सामंती व्यवस्था थी। सरकार ने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया और भूमि का स्वामित्व मिट्टी जोतने वालों को हस्तांतरित कर दिया।

1. **किरायेदारी सुधार (1950-1960):** सरकार ने किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा और उनके किराए को विनियमित करने के लिए कई उपाय पेश किए। इसमें लगान का नियमन, बेदखली की रोकथाम और बटाईदारों के अधिकारों की मान्यता शामिल थी।
2. **भूमि जोत पर सीमा (1961):** सरकार ने भूमि जोत पर एक सीमा लगा दी, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग थी। इससे भूमि का स्वामित्व कुछ व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होने से रोका गया।
3. **भूमि समेकन (1960-1970):** भूमि समेकन में भूमि के बड़े, अधिक उत्पादक भूखंड बनाने के लिए खंडित भूमि जोतों का पुनर्गठन शामिल था। यह कृषि उत्पादकता में सुधार और भूमि के विखंडन को कम करने के लिए किया गया था।
4. **सहकारी खेती (1960-1970):** सरकार ने संसाधनों की पूलिंग को बढ़ावा देने और छोटे और सीमांत किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया।
5. **भूमि विकास बैंक (1960-1970):** भूमि विकास बैंकों की स्थापना किसानों को भूमि विकास, सिंचाई और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी।
6. **केरल में भूमि सुधार (1970-1980):** केरल की राज्य सरकार ने कई भूमि सुधार पेश किए, जिनमें भूमिहीनों को अधिशेष भूमि का वितरण, भूमि जोत पर एक सीमा लगाना और किरायेदारों के अधिकारों की मान्यता शामिल है।
7. **वन भूमि वितरण (1980):** सरकार ने आदिवासी समुदायों और अन्य हाशिये पर रहने वाले समूहों की आजीविका को बढ़ावा देने और जंगलों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए वन भूमि के वितरण की शुरुआत की।
8. **भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (2008):** सरकार ने भूमि स्वामित्व और हस्तांतरण की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की शुरुआत की।
9. **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम (2013):** सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण को विनियमित करने और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के लिए उचित मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाया।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में भूमि सुधार राज्य स्तर पर लागू किए गए हैं, और इन सुधारों की प्रभावशीलता और प्रगति एक राज्य से दूसरे राज्य में काफी भिन्न रही है। भूमि सुधार एक जटिल और अक्सर विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिसमें भूमि रिकॉर्ड, राजनीतिक इच्छाशक्ति, भूमि मालिकों के प्रतिरोध और व्यापक कार्यान्वयन की आवश्यकता से संबंधित चुनौतियाँ शामिल हैं। कुल मिलाकर, भारत में भूमि सुधारों का अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मिश्रित रिकॉर्ड रहा है। हालाँकि उन्होंने भूमि असमानता को कम करने और भूमिहीन और हाशिए पर रहने वाले

समुदायों के लिए भूमि स्वामित्व में सुधार करने में कुछ प्रगति की है, लेकिन देश के कई हिस्सों में चुनौतियाँ और असमानताएँ बनी हुई हैं। भारत के कृषि और सामाजिक परिदृश्य में भूमि सुधार एक सतत और विकासशील प्रक्रिया बनी हुई है।

भारत में भूमि सुधार के लाभः

1. **भूमि असमानता में कमीः** भूमि सुधारों ने कुछ व्यक्तियों के हाथों में भूमि स्वामित्व की एकाग्रता को कम करने में मदद की और भूमिहीन और छोटे किसानों को भूमि के वितरण को बढ़ावा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में भूमि वितरण के लिए गिनी गुणांक 1950 के दशक में 0.67 से घटकर 1990 के दशक में 0.48 हो गया, जो भूमि असमानता में कमी का संकेत देता है।
2. **कृषि उत्पादकता में सुधारः** भूमि सुधारों द्वारा प्रोत्साहित भूमि समेकन और सहकारी खेती ने भूमि के विखंडन को कम करके और संसाधनों के संयोजन को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादकता में सुधार करने में मदद की। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार, भूमि समेकन के कारण पंजाब राज्य में फसल की पैदावार में 36% की वृद्धि हुई।
3. **किरायेदार अधिकारों का संरक्षणः** किरायेदारी सुधारों ने किरायेदारों और बटाईदारों के किराए को विनियमित करके और उनकी बेदखली को रोककर उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद की। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार, खेती योग्य भूमि में किरायेदारी का हिस्सा 1960 के दशक में 51% से घटकर 1990 के दशक में 23% हो गया, जो किरायेदारों के शोषण में कमी का संकेत देता है।
4. **ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देनाः** भूमि विकास बैंक किसानों को भूमि विकास, सिंचाई और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करते थे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के एक अध्ययन के अनुसार, कृषि क्षेत्र को प्रदान किया जाने वाला संस्थागत ऋण रुपये से बढ़ गया है। 1961-62 में 133 करोड़ रु. 2019-20 में 15,72,681 करोड़।
5. **सामाजिक समानता को बढ़ावा देनाः** भूमिहीनों को अधिशेष भूमि का वितरण और किरायेदार अधिकारों की मान्यता ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद की। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण भारत में भूमिहीन परिवारों की हिस्सेदारी 1960 के दशक में 45% से घटकर 1990 के दशक में 28% हो गई, जो ग्रामीण गरीबी में कमी का संकेत देती है।

भूमि सुधारों की कमियाँ

➢ इन उपायों के कार्यान्वयन के बावजूद, भारत में भूमि सुधार पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। भूमि सुधारों का कार्यान्वयन धीमा रहा है, और इसमें कई खामियां और छूटें रही हैं, जिससे बड़े भूस्वामियों को अपनी भूमि जोत बनाए रखने की अनुमति मिली है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, भ्रष्टाचार और नौकरशाही की अक्षमता ने भी भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है।

1. **ख़राब कार्यान्वयनः** कई भूमि सुधार उपायों की शुरूआत के बावजूद, इन सुधारों का कार्यान्वयन अक्सर खराब और अप्रभावी रहा। कई सुधार कागजों पर ही रह गए और लाभ अपेक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचे।
2. **जमींदारों का विरोधः** भूमि सुधारों के कार्यान्वयन को अक्सर उन जमींदारों के विरोध का सामना करना पड़ा जो अपनी भूमि छोड़ने को तैयार नहीं थे। इससे देश के कई हिस्सों में हिंसा और संघर्ष हुआ।
3. **अपर्याप्त मुआवजाः** भूमि अधिग्रहण और वितरण के लिए भूमि मालिकों और किरायेदारों को प्रदान किया जाने वाला मुआवजा अक्सर अपर्याप्त होता था, और भूमि के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता था।
4. **भूमि अभिलेखों का अभावः** सटीक और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड की कमी के कारण भूमि के असली मालिकों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, और अक्सर विवाद और संघर्ष होते हैं।
5. **लिंग भेदः** भूमि में महिलाओं के अधिकारों की मान्यता के बावजूद, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन अक्सर पुरुषों के प्रति पक्षपाती रहा और महिलाओं को भूमि स्वामित्व में भेदभाव का सामना करना पड़ता रहा।
6. **सीमित कवरेजः** भारत में भूमि सुधारों का कवरेज अक्सर सीमित था, और कई क्षेत्रों और समुदायों को इन सुधारों से लाभ नहीं हुआ।
7. **अपर्याप्त सहायता सेवाएँः** भूमि सुधार अक्सर ऋण, सिंचाई और विपणन जैसी पर्याप्त समर्थन सेवाओं के बिना लागू किए गए थे, जो भूमि की सफल खेती के लिए आवश्यक थे।

कृषि सब्सिडी

- ❍ सब्सिडी को ष्वस्तुओं आदि की कीमतों को कम रखने के लिए राज्य, सार्वजनिक निकाय आदि द्वारा दिया गया धनष् के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ❍ सब्सिडी एक अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता है जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के समर्थन या विकास के लिए दी जाती है।
- ❍ सब्सिडी कमोडिटी बाजार के माध्यम से सब्सिडी वाली वस्तु की सापेक्ष कीमत को कम करके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, जिससे इसकी मांग में वृद्धि होती है।
- ❍ कर सरकारी बजट के राजस्व पक्ष में दिखाई देते हैं, और सब्सिडी व्यय पक्ष में दिखाई देती है।
- ❍ जबकि कर प्रयोज्य आय को कम करते हैं, सब्सिडी धन को प्रचलन में लाती है।

➢ कृषि सब्सिडी का तात्पर्य सरकारों द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता से है। ये सब्सिडी आम तौर पर कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई हैं। कृषि सब्सिडी कई रूप ले सकती है, और उनकी प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है।

➢ कृषि सब्सिडी का उपयोग विभिन्न नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

- किसानों के लिए आय सहायता:सब्सिडी किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि उन्हें अपने निवेश और श्रम पर उचित रिटर्न मिले।
- खाद्य सुरक्षा:आबादी के लिए किफायती भोजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
- ग्रामीण विकास:कृषि को समर्थन देने से रोजगार के अवसर और बुनियादी ढांचे का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है।
- वहनीयता:सब्सिडी टिकाऊ कृषि पद्धतियों, जैसे जैविक खेती या संरक्षण उपायों को बढ़ावा दे सकती है।

➢ कृषि सब्सिडी बहस का विषय है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। वे अक्सर राष्ट्रीय नीतियों, व्यापार समझौतों और वैश्विक आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं।

सब्सिडी के प्रकार

1. **प्रत्यक्ष सब्सिडी**- प्रत्यक्ष सब्सिडी नकद अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण और प्रत्यक्ष लाभ के रूप में दी जाती है।
   उदाहरण के लिए- प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी एक प्रकार की सब्सिडी है जिसमें किसानों को उनके उत्पादों को वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रत्यक्ष नकद प्रोत्साहन का भुगतान किया जाता है। प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी सहायक होती है क्योंकि वे किसान को क्रय शक्ति प्रदान करती है और ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण मदद कर सकती है।
2. **अप्रत्यक्ष सब्सिडी**- अप्रत्यक्ष सब्सिडी टैक्स ब्रेक, बीमा, कम-ब्याज ऋण, मूल्यह्रास राइट-ऑफ, किराया छूट के संदर्भ में प्रदान की जाती है।
   उदाहरण के लिए- अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी: ये कृषि सब्सिडी हैं जो सस्ती ऋण सुविधाओं, कृषि ऋण माफी, सिंचाई और बिजली बिलों में कमी, उर्वरक, बीज और कीटनाशक सब्सिडी के साथ-साथ कृषि अनुसंधान, पर्यावरण में निवेश के रूप में प्रदान की जाती हैं। सहायता, किसान प्रशिक्षण आदि।

एक नीति के रूप में सब्सिडी के लाभ हैं:

1. अधिक खपत/उत्पादन को प्रेरित करना।
2. आय का पुनर्वितरण, जनसंख्या नियंत्रण आदि सहित सामाजिक नीति उद्देश्यों की प्राप्ति।
3. यह स्थिरता बनाए रखने के लिए कीमतों को नियंत्रित करने में मदद करता है।
4. विशेषकर कृषि के मामले में जहां भोजन सभी का बुनियादी अधिकार है, आप सब कुछ बाजार पर नहीं छोड़ सकते।
5. बाह्यताओं के आंतरिककरण सहित बाजार की खामियों को दूर करना।

कृषि क्षेत्र को सब्सिडी

1. **इनपुट सब्सिडी:** इनपुट के वितरण के माध्यम से उन कीमतों पर सब्सिडी दी जा सकती है जो इन इनपुट के लिए मानक बाजार मूल्य से कम हैं। इसलिए सब्सिडी का परिमाण वितरित इनपुट की प्रति इकाई के लिए दो कीमतों के बीच के अंतर के बराबर होगा। स्वाभाविक रूप से इस श्रेणी में कई प्रकार की सब्सिडी का नाम लिया जा सकता है

2. **उर्वरक सब्सिडी**
   - इसमें किसानों के बीच सस्ते रासायनिक या गैर-रासायनिक उर्वरकों का वितरण शामिल है। यह उर्वरक (घरेलू या विदेशी) के निर्माता को भुगतान की गई कीमत और किसानों से प्राप्त कीमत के बीच का अंतर है।
   - यह सब्सिडी सुनिश्चित करती है:
     - किसानों को सस्ता इनपुट,
     - निर्माता को उचित रिटर्न,
     - उर्वरक की कीमतों में स्थिरता, और
     - किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता।
   - कुछ मामलों में इस प्रकार की सब्सिडी उर्वरकों के आयात पर शुल्क हटाकर दी जाती है, जो अन्यथा लगाया जाता।

3. **सिंचाई सब्सिडी**
   - उचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के कारण सरकार किसानों को मिलने वाली सब्सिडी वहन करती है।
   - सिंचाई सब्सिडी राज्य में सिंचाई बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव की लागत और किसानों से वसूले गए सिंचाई शुल्क के बीच का अंतर है।
   - यह सार्वजनिक वस्तुओं जैसे नहरों, बांधों के प्रावधानों के माध्यम से काम कर सकता है, जिनका निर्माण सरकार करती है और किसानों से उनके उपयोग के लिए कम कीमत या कोई कीमत नहीं वसूलती है।
   - यह पंप सेट जैसे सस्ते निजी सिंचाई उपकरणों के माध्यम से भी हो सकता है।

4. **बिजली सब्सिडी**
   - बिजली सब्सिडी का अर्थ यह है कि सरकार किसानों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए कम दरें वसूलती है। बिजली का उपयोग मुख्य रूप से किसानों द्वारा सिंचाई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह किसानों को बिजली उत्पादन और वितरण की लागत और किसानों से प्राप्त कीमत के बीच का अंतर है।

5. **बीज सब्सिडी**
   - अधिक उपज देने वाले बीज सरकार द्वारा कम कीमत पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। ऐसे उत्पादक बीजों के उत्पादन के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ भी सरकार द्वारा की जाती हैं, इन पर होने वाला खर्च किसानों को दी जाने वाली एक प्रकार की सब्सिडी है।

6. **क्रेडिट सब्सिडी**
   - यह किसानों से वसूले गए ब्याज और ऋण प्रदान करने की वास्तविक लागत, साथ ही खराब ऋणों को बट्टे खाते में

डालने जैसी अन्य लागतों के बीच का अंतर है। गरीब किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। उनके पास नकदी की कमी है और वे ऋण बाजार में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास ऋण के लिए आवश्यक संपार्श्विक नहीं है। उत्पादन गतिविधियों को चलाने के लिए वे स्थानीय साहूकारों से संपर्क करते हैं।

7. मूल्य सब्सिडी

- यह खाद्यान्न की कीमत के बीच का अंतर है जिस पर एफसीआई किसानों से खाद्यान्न खरीदता है, और जिस कीमत पर पीसीआई व्यापारियों या पीडीएस को बेचता है।
- बाजार भाव इतना कम हो सकता है कि किसानों को मुनाफा की जगह घाटा उठाना पड़ेगा. ऐसे में सरकार किसानों से बाजार मूल्य से अधिक दाम पर फसल खरीदने का वादा कर सकती है.
- दोनों कीमतों के बीच का अंतर सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली प्रति यूनिट सब्सिडी है। जिस कीमत पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है उसे खरीद मूल्य कहा जाता है।
- सरकार द्वारा इस तरह की खरीद का भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। यह किसानों को नियमित रूप से खरीदी जाने वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

8. ढांचागत सब्सिडी

- कई क्षेत्रों में निजी प्रयास कृषि उत्पादन में सुधार के लिए पर्याप्त साबित नहीं होते हैं। अच्छी सड़कें, भंडारण सुविधाएं, बिजली, बाजार के बारे में जानकारी, बंदरगाहों तक परिवहन आदि उत्पादन और बिक्री संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- ये सुविधाएं सार्वजनिक वस्तुओं के क्षेत्र में हैं, जिनकी लागत बहुत अधिक है और जिनका लाभ किसी क्षेत्र के सभी कृषकों को मिलता है।
- सरकार सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेती है और भारतीय किसानों की स्थिति को देखते हुए गरीब किसानों से कम कीमत ली जा सकती है।

9. निर्यात सब्सिडी

- इस प्रकार की सब्सिडी दूसरों से अलग नहीं है। लेकिन इसका उद्देश्य खास है. जब कोई किसान या निर्यातक विदेशी बाजार में कृषि उत्पाद बेचता है तो वह अपने लिए तो पैसा कमाता ही है, साथ ही देश के लिए विदेशी मुद्रा भी कमाता है। इसलिए, कृषि निर्यात को आम तौर पर तब तक प्रोत्साहित किया जाता है जब तक ये घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाते। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को निर्यात सब्सिडी कहा जाता है।

कृषि सब्सिडी के उद्देश्य

आर्थिक उद्देश्य:

1. कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना.
2. बंदरगाह या कारखाने से खेतों तक परिवहन की उच्च लागत की भरपाई करें जिससे इनपुट की लागत बढ़ जाती है।
3. मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करें और मिट्टी के क्षरण (उर्वरक के मामले में) से निपटें।
4. उन किसानों के लिए इनपुट किफायती बनाएं जो गरीबी, ऋण तक पहुंच की कमी और फसल के नुकसान के खिलाफ बीमा कराने में असमर्थता के कारण उन्हें खरीद नहीं सकते हैं।
5. सीखना - किसानों को नए इनपुट आजमाने और उनके फायदों से परिचित होने की अनुमति देना।

सामाजिक उद्देश्य:

- सामाजिक समानता - उन किसानों को आय हस्तांतरित करना जो गरीब हैं, दूरदराज के वंचित क्षेत्रों में रहते हैं, या दोनों डब्ल्यूटीओ और कृषि सब्सिडी
- कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौता (एओए), 1995 ने विकसित देशों को कृषि सब्सिडी प्रदान करना जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के तहत। डब्ल्यूटीओ शब्दावली में, कृषि सब्सिडी को विभिन्न श्बक्सोंश में विभाजित किया गया है:

1. ग्रीन बॉक्स सब्सिडी-इसमें अनुसंधान, रोग नियंत्रण और बुनियादी ढांचे और खाद्य सुरक्षा पर खर्च की गई राशि शामिल है। इनमें किसानों को आय सहायता जैसे प्रत्यक्ष भुगतान भी शामिल हैं जो उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इन्हें व्यापार को विकृत करने वाला नहीं माना जाता और इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।
2. ब्लू बॉक्स सब्सिडी- इसमें उत्पादन सीमित करने के लिए किसानों को सीधे भुगतान और विकासशील देशों में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सरकारी सहायता शामिल है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी को व्यापार को विकृत करने वाली के रूप में देखा जाता है।
3. एम्बर बॉक्स सब्सिडीख्र इसमें सभी कृषि सब्सिडी शामिल हैं जो नीले या हरे बक्से में नहीं आती हैं। इनमें कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सरकारी नीतियां या उत्पादन मात्रा (जैसे बिजली, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, सिंचाई, आदि) से सीधे संबंधित कोई भी मदद शामिल है। ये कृषि उत्पादन के न्यूनतम स्तर को कम करने की प्रतिबद्धता के अधीन हैं - विकसित देशों के लिए 5% और विकासशील देशों के लिए 10%। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि विकासशील देशों को कृषि आयात के लिए अपना बाजार खोलने के लिए कहने से पहले विकसित देशों को पहले अपनी कृषि सब्सिडी संरचना को खत्म करना चाहिए।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम 01 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था। इसे भारत सरकार की कल्याणकारी पहलों की वितरण प्रणाली में सुधार और मौजूदा सामाजिक योजनाओं की प्रक्रियाओं में सुधार के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से सीधे सब्सिडी और नकद लाभ हस्तांतरित करना है।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भारत में एक सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना है। यह पहल भारत सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण लाभों और सब्सिडी के वितरण में रिसाव, भ्रष्टाचार और देरी को कम करने के लिए शुरू की गई थी। डीबीटी प्रणाली के तहत, विभिन्न सब्सिडी और लाभ, जैसे कि भोजन, रसोई गैस, छात्रवृत्ति और पेंशन से संबंधित, सीधे पात्र व्यक्तियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

1. **आधार एकीकरण:** आधार कार्ड, भारतीय निवासियों को जारी की गई एक विशिष्ट पहचान संख्या, अक्सर लाभार्थियों के बैंक खातों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। इससे लाभार्थियों की सटीक पहचान करने और उन्हें लक्षित करने में मदद मिलती है।
2. **नकद हस्तांतरण:** भौतिक वस्तुओं या सेवाओं को वितरित करने के बजाय, लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण किया जाता है, जिससे उन्हें धन का उपयोग करने के तरीके के बारे में विकल्प चुनने की अनुमति मिलती है।
3. **पारदर्शिता:** डीबीटी बिचौलियों की भूमिका को कम करके और धन के प्रवाह को ट्रैक करना आसान बनाकर पारदर्शिता बढ़ाता है। इससे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के अवसर कम हो जाते हैं।
4. **वित्तीय समावेशन:** डीबीटी लाभार्थियों के बीच बैंक खातों और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करता है।
5. **कम रिसाव:** बिचौलियों को खत्म करके और भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके, डीबीटी का लक्ष्य रिसाव को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे।
6. **लक्षित कल्याण:** डीबीटी सरकार को लाभार्थियों को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित करने और यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम उन लोगों तक पहुंचें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

- डीबीटी कार्यक्रम एलपीजी (रसोई गैस) सब्सिडी, छात्रवृत्ति, ग्रामीण नौकरी गारंटी कार्यक्रम और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया है। इसने भारत में सरकारी सब्सिडी कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार किया है। जबकि डीबीटी के अपने फायदे हैं, इसे डेटा गोपनीयता, आधार लिंकेज और यह सुनिश्चित करने से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है कि लाभार्थियों की बैंक खातों और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच हो।
- यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य देशों ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और संदर्भों के अनुरूप डिजाइन और निष्पादन में भिन्नता के साथ समान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम लागू किए हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभ

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कई लाभ हैं, जो विशिष्ट संदर्भ और कार्यान्वयन के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यहां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं:

1. **लक्षित सहायता:** डीबीटी कार्यक्रम सरकारों को पात्र व्यक्तियों या परिवारों को सब्सिडी और लाभ सटीक रूप से लक्षित करने में मदद करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सहायता उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जिससे दुरुपयोग और धोखाधड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है।
2. **रिसाव में कमी:** लाभार्थियों के बैंक खातों में या डिजिटल माध्यमों से सीधे लाभ हस्तांतरित करके, डीबीटी रिसाव और भ्रष्टाचार की संभावना को कम कर देता है जो अक्सर बिचौलियों से जुड़े पारंपरिक वितरण तरीकों में होता है।
3. **पारदर्शिता:** डीबीटी सरकारी लाभों के वितरण में पारदर्शिता बढ़ाता है। लेन-देन का डिजिटल निशान धन की बेहतर ट्रैकिंग की अनुमति देता है, जिससे वितरण प्रक्रिया की निगरानी और ऑडिट करना आसान हो जाता है।
4. **वित्तीय समावेशन:** डीबीटी लाभार्थियों को बैंक खाते रखने और डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। इससे व्यक्तियों, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों के लोगों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है।
5. **क्षमता:** डीबीटी से सरकारी सब्सिडी और लाभों के प्रशासन में दक्षता बढ़ती है। यह प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, प्रशासनिक लागत कम करता है और कागजी कार्रवाई को कम करता है।
6. **प्रशासनिक बोझ में कमी:** लाभार्थियों और सरकारी एजेंसियों दोनों के लिए, डीबीटी सब्सिडी के भौतिक वितरण से जुड़े प्रशासनिक बोझ को कम करता है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो जाती है।
7. **सुविधा:** लाभार्थियों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों का दौरा करने या लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। डीबीटी के साथ, धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे अधिक सुविधा मिलती है।
8. **विकल्प और लचीलापन:** डीबीटी के माध्यम से नकद हस्तांतरण लाभार्थियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर धनराशि का उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है। यह लाभों को खर्च करने के तरीके के संबंध में अधिक लचीलेपन और निर्णय लेने की शक्ति की अनुमति देता है।
9. **शीघ्र संवितरण:** डीबीटी लाभों का त्वरित वितरण सुनिश्चित करता है, पारंपरिक वितरण विधियों में होने वाली देरी को समाप्त करता है। आपातकालीन स्थितियों में या जब समय पर सहायता की आवश्यकता हो तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
10. **कार्यक्रम के मूल्यांकन:** डीबीटी की डिजिटल प्रकृति कल्याणकारी कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन की अनुमति देती है। सरकारें अपनी सामाजिक कल्याण पहलों के प्रभाव और प्रभावशीलता पर डेटा एकत्र कर सकती हैं।

11. **धोखाधड़ी में कमी:** डिजिटल प्रमाणीकरण और सत्यापन प्रणालियों के साथ, डीबीटी कार्यक्रम धोखाधड़ी वाले दावों और पहचान की चोरी को कम करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि लाभार्थियों को अक्सर बायोमेट्रिक डेटा या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
12. **प्रौद्योगिकी के साथ एकीकरण:** डीबीटी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है, जैसे विशिष्ट पहचान प्रणाली (उदाहरण के लिए, भारत में आधार), मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, डिजिटलीकरण की प्रवृत्ति के साथ संरेखित करना और इसे लाभार्थियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना।
13. **प्रोग्राम डिजाइन में लचीलापन:** डीबीटी नीतिगत उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम डिजाइन की अनुमति देता है, जिसमें सशर्त नकद हस्तांतरण, बिना शर्त हस्तांतरण और विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं के लिए सब्सिडी शामिल है।

ये लाभ डीबीटी को सरकारी सब्सिडी और लाभों के वितरण में सुधार, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, भ्रष्टाचार को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण बनाते हैं कि सहायता इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक कुशलतापूर्वक पहुंचे। हालाँकि, डीबीटी कार्यक्रमों की सफलता बुनियादी ढांचे, डेटा सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और संभावित बहिष्करण त्रुटियों को संबोधित करने जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की चुनौतियाँ

- जबकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम कई लाभ प्रदान करते हैं, वे कई चुनौतियाँ भी लेकर आते हैं जिनका सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को समाधान करने की आवश्यकता है। डीबीटी की कुछ चुनौतियों में शामिल हैं:

1. **समावेशन त्रुटियाँ:** यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाए और उन्हें डीबीटी प्रणाली में शामिल किया जाए, एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बहिष्करण त्रुटियां, जहां पात्र व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता है, और समावेशन त्रुटियां, जहां अयोग्य व्यक्तियों को लाभ मिलता है, डेटा में त्रुटियों, तकनीकी मुद्दों या जागरूकता की कमी के कारण हो सकती हैं।
2. **डेटा गुणवत्ता और प्रमाणीकरण:** डीबीटी कार्यक्रमों की सफलता के लिए सटीक और अद्यतन डेटा महत्वपूर्ण है। यदि लाभार्थी का डेटा अधूरा या गलत है, तो इससे सही प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें लक्षित करने में समस्याएँ हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
3. **बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी:** ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में डिजिटल बुनियादी ढांचे, जैसे बैंक खाते, मोबाइल फोन और इंटरनेट तक पहुंच सीमित हो सकती है। अपर्याप्त कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा लाभार्थियों की डीबीटी भुगतान प्राप्त करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
4. **वित्तीय साक्षरता:** कई लाभार्थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, डिजिटल बैंकिंग या मोबाइल भुगतान से परिचित नहीं हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय शिक्षा और सहायता प्रदान करना आवश्यक है कि लाभार्थी अपने डीबीटी फंड तक प्रभावी ढंग से पहुंच और प्रबंधन कर सकें।
5. **प्रौद्योगिकी चुनौतियाँ:** तकनीकी समस्याएँ, जैसे सिस्टम विफलता, नेटवर्क आउटेज, और पॉइंट ऑफ सेल (च्वै) उपकरणों के साथ समस्याएँ, कठ्ज प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं। इन व्यवधानों को कम करने के लिए मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा आवश्यक है।
6. **बायोमेट्रिक और आधार मुद्दे:** भारत जैसे देशों में, जहां प्रमाणीकरण के लिए आधार (एक विशिष्ट पहचान प्रणाली) का उपयोग किया जाता है, वहां गोपनीयता, सुरक्षा और बायोमेट्रिक डेटा के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं रही हैं।
7. **कमजोर समूहों का बहिष्कार:** कुछ कमजोर आबादी, जैसे बेघर व्यक्तियों, के पास बैंक खातों या आवश्यक पहचान दस्तावेजों तक पहुंच नहीं हो सकती है, जिससे वे डीबीटी लाभों के लिए अयोग्य हो जाते हैं।
8. **प्रशासनिक एवं कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** डीबीटी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता होती है। सुचारू नामांकन, भुगतान वितरण और शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
9. **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन हो सकता है, शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुंच होगी। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ग्रामीण लाभार्थी डीबीटी लाभ प्राप्त कर सकें।
10. **सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम:** डीबीटी कार्यक्रमों में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और साइबर हमलों को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय होने चाहिए जो कार्यक्रम की अखंडता से समझौता कर सकते हैं।
11. **कार्यान्वयन की लागत:** डीबीटी के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और रखरखाव महंगा हो सकता है। इसमें डेटाबेस, भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित करने और बनाए रखने और लाभार्थियों के लिए पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित करने की लागत शामिल है।
12. **राजनीतिक और सामाजिक प्रतिरोध:** कुछ मामलों में, डीबीटी कार्यक्रमों का राजनीतिक या सामाजिक विरोध हो सकता है, खासकर जब वे मौजूदा प्रणालियों को प्रतिस्थापित करते हैं या राजनीति से प्रेरित माने जाते हैं।
13. **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** जिन लाभार्थियों में डिजिटल साक्षरता की कमी है, उन्हें डिजिटल चैनलों के माध्यम से अपने धन तक पहुंचने और प्रबंधन करने में कठिनाई हो सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और समर्थन की आवश्यकता है।

- इन चुनौतियों से निपटने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, सरकारी एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय, निरंतर निगरानी और डीबीटी प्रणाली की दक्षता और समावेशिता में सुधार के लिए चल रहे

प्रयासों की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के बावजूद, उचित सुरक्षा उपायों और समर्थन तंत्र के साथ लागू होने पर डीबीटी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक मूल्यवान उपकरण बना हुआ है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

- एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, और यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना की गणना पर आधारित है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाती है।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) एमएसपी की सिफारिश करता है22 अनिवार्य फसलेंऔरउचित एवं लाभकारी मूल्य(एफआरपी)गन्ने के लिए.
- सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।

एमएसपी द्वारा कवर की गई फसलें शामिल हैं:

- * 7 प्रकार के अनाज (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ), * 5 प्रकार की दालें (चना, अरहर / अरहर, उड़द, मूंग और मसूर), *7 तिलहन (रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर बीज),*4 वाणिज्यिक फसलें (कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट)
- एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी निम्नलिखित कारकों पर गौर करता है:
- * किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति; * इसकी उत्पादन लागत; * बाजार मूल्य रुझान (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों); * अंतर-फसल मूल्य समानता; * कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तें (अर्थात्, कृषि आदानों और कृषि उत्पादों की कीमतों का अनुपात); *उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत; और *उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर एमएसपी का संभावित प्रभाव।

उत्पादन लागत के तीन प्रकार:

- सीएसीपी प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर तीन प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है।
  - **'ए2'**:इसमें किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराए पर लिया गया श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर नकद और वस्तु के रूप में सीधे खर्च की गई सभी भुगतान लागत शामिल है।
  - **'ए2+ एफएल'**: इसमें A2 प्लस अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है।
  - **'सी2'**: यह एक अधिक व्यापक लागत है जो ए2+एफएल के शीर्ष पर स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजी संपत्तियों पर छोड़े गए किराये और ब्याज को ध्यान में रखती है।
- सीएसीपी एमएसपी की सिफारिश करते समय ए2+एफएल दोनों पर विचार करता है।
- केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) एमएसपी के स्तर और सीएसीपी द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की विशेषताएं

1. **कीमत की गारंटी:** सरकार बाजार की स्थितियों के बावजूद किसानों से कुछ कृषि जिंसों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देती है। यह आश्वासन किसानों को सुरक्षा जाल प्रदान करता है, खासकर बाजार मूल्य में अस्थिरता के समय में।
2. **फसल कवरेज:** एमएसपी आम तौर पर खाद्यान्न (गेहूं, चावल, आदि), दालें, तिलहन और कपास सहित कई फसलों पर लागू होता है। सरकार उत्पादन लागत, बाजार की मांग और रणनीतिक विचारों सहित विभिन्न कारकों के आधार पर विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है।
3. **खरीद एजेंसियां:** भारत में भारतीय खाद्य निगम (FCI) जैसी सरकारी एजेंसियां, किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए जिम्मेदार हैं। ये एजेंसियां खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए खरीदी गई उपज का भंडारण, वितरण और उपयोग करती हैं।
4. **किसानों के लिए मूल्य समर्थन:** एमएसपी यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य मिले, जो उनकी आजीविका को बनाए रखने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है।
5. **मूल्य स्थिरता:** एमएसपी कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य प्रदान करके बाजार में मूल्य स्थिरता में योगदान कर सकता है। यह अधिशेष उत्पादन वर्षों के दौरान कीमतों में तेज गिरावट को रोकने में भी मदद कर सकता है।
6. **खाद्य सुरक्षा:** एमएसपी को अक्सर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है। सरकार खरीदे गए अनाज का उपयोग आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकती है, खासकर कमी के समय में।
7. **ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए समर्थन:** एमएसपी नीतियों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वे किसानों को आय और रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

एमएसपी की आलोचना और चुनौतियाँ

1. **बाजार कीमतों का विरूपण:** आलोचकों का तर्क है कि एमएसपी बाजार की कीमतों को विकृत कर सकता है और कुछ फसलों के अतिउत्पादन को जन्म दे सकता है, क्योंकि किसान दूसरों की कीमत पर एमएसपी समर्थित फसलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
2. **भंडारण और वितरण चुनौतियाँ:** बड़ी मात्रा में कृषि उपज की खरीद और भंडारण करना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और खराब होने और बर्बादी को रोकने के लिए उचित भंडारण बुनियादी ढांचे को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

3. **राजकोषीय दबाव:** एमएसपी पर सब्सिडी देने से सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जिसे खरीद और भंडारण के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता होती है।
4. **असमान पहुंच:** एमएसपी का लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुंच सकता है, खासकर छोटे किसानों तक जिनकी सरकारी खरीद केंद्रों तक पहुंच नहीं है। अक्सर बड़े किसानों को ही सबसे अधिक लाभ होता है।
5. **पर्यावरणीय चिंता:** एमएसपी-समर्थित फसलों, जैसे कि जल-गहन किस्मों, पर अत्यधिक जोर देने से नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें अत्यधिक पानी का उपयोग और मिट्टी का क्षरण शामिल है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण और आपात स्थिति के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई। पिछले कुछ वर्षों में, पीडीएस शब्द 'खाद्य सुरक्षा' शब्द का पर्याय बन गया है और यह देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। इसमें लगभग 5.35 लाख उचित मूल्य की दुकानों की एक सरकार प्रायोजित श्रृंखला शामिल है, जिसे समाज के जरूरतमंद वर्ग को बहुत सस्ती कीमत पर बुनियादी खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं को वितरित करने का काम सौंपा गया है।
- पीडीएस की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से साझा की जाती है
- केंद्र सरकार - एफसीआई के माध्यम से, राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन का कार्य करती है।
- राज्य सरकार - लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, मूल्य दुकानों के कामकाज की निगरानी।

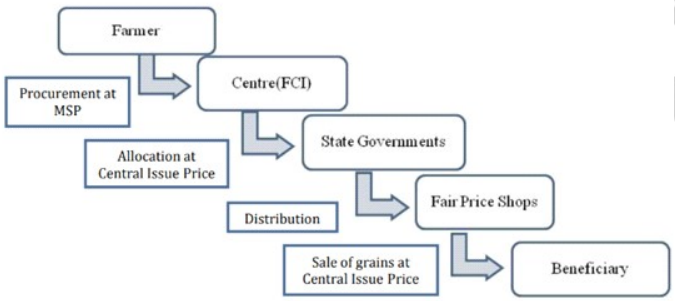

पीडीएस का विकास

- 1960 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली: पीडीएस, शहरी कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न के वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, 1960 के दशक की गंभीर खाद्य कमी से उत्पन्न हुआ था। चूंकि हरित क्रांति के बाद राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए 1970 और 1980 के दशक में पीडीएस की पहुंच आदिवासी ब्लॉकों और गरीबी की उच्च घटनाओं वाले क्षेत्रों तक बढ़ा दी गई थी।
- पुर्नोत्थान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीडीएस): 1992
- पीडीएस को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ दूर-दराज, पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में जहां गरीबों का एक बड़ा वर्ग रहता है, इसकी पहुंच में सुधार करना है।
- इसमें 1775 ब्लॉकों को शामिल किया गया जिसमें क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी),
- एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ (आईटीडीपी),
- रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को कुछ निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों (डीएचए) में कार्यान्वित किया जा रहा था, जिन्हें विशेष फोकस के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से पहचाना गया था।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस): 1997
- गरीब परिवारों पर फोकस के साथ. जब यह योजना शुरू की गई थी, तो इसका उद्देश्य लगभग 6 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना था, जिनके लिए सालाना लगभग 72 लाख टन खाद्यान्न निर्धारित किया गया था।

अंतोदय अन्न योजना (एएवाई):

- एएवाई, बीपीएल आबादी के सबसे गरीब वर्गों के बीच भूख को कम करने के उद्देश्य से टीपीडीएस बनाने की दिशा में एक कदम था। निर्गम का पैमाना जो प्रारंभ में 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह था, 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (एनएफएसए) 2013

- कवरेज और पात्रता - एनएफएसए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करता है
- प्राथमिकता वाले परिवारों की लगभग 82 करोड़ आबादी प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज पाने की हकदार है।
- अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक इसका जीवन-चक्र दृष्टिकोण है जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- उन्हें एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केंद्रों के व्यापक नेटवर्क, जिन्हें आईसीडीएस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र कहा जाता है और मिड-डे मील (एमडीएम) योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का अधिकार देना।
- गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली महिलाएँमाताएं कम से कम रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं। गर्भावस्था की अवधि के दौरान वेतन हानि की आंशिक भरपाई और पूरक पोषण के लिए 6,000 रु.
- एनएफएसए के तहत खाद्यान्न रुपये की रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाना था। चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3/2/1 प्रति किलोग्राम।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कैसे कार्य करती है?

इसमें शामिल चरण हैं (1) खाद्यान्न की खरीद (2) खाद्यान्न का भंडारण (3) परिवारों के लिए आवंटन (4) खाद्यान्न का परिवहन।

खाद्यान्न की खरीद

- केंद्र किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न खरीदने के लिए जिम्मेदार है।
- एमएसपी वह कीमत है जिस पर एफसीआई किसानों से सीधे फसल खरीदता है; आम तौर पर, एमएसपी बाजार मूल्य से अधिक होता है।
- इसका उद्देश्य किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करना और उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) एमएसपी निर्धारित करता है
- खरीद:दो प्रकार की खरीद, केंद्रीकृत खरीद, और विकेंद्रीकृत खरीद।
- केंद्रीकृत खरीद एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) द्वारा की जाती है जहां एफसीआई सीधे किसानों से फसल खरीदता है।
- विकेंद्रीकृत खरीद एक केंद्रीय योजना है जिसके तहत 10 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एफसीआई की ओर से एमएसपी पर केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न की खरीद करते हैं।

खाद्यान्न का भंडारण

- एफसीआई के भंडारण दिशानिर्देशों के अनुसार, खाद्यान्नों को आम तौर पर ढके हुए गोदामों और साइलो में संग्रहीत किया जाता है। यदि एफसीआई के पास पर्याप्त भंडारण स्थान नहीं है, तो वह केंद्रीय और राज्य भंडारण निगमों (सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी), राज्य सरकार एजेंसियों और निजी पार्टियों जैसी विभिन्न एजेंसियों से जगह किराए पर लेती है।

खाद्यान्न का आवंटन

- केंद्र सरकार पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को समान केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) पर खाद्यान्न आवंटित करती है।
- गरीब लोगों की पहचान-प्रत्येक राज्य में पात्र परिवारों की पहचान करने का दायित्व राज्य सरकार पर है। राज्य के भीतर खाद्यान्न आवंटन के अलावा, राशन कार्ड का मुद्दा और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी आदि राज्य सरकारों के पास हैं।
- बीपीएल और एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना-बीपीएल परिवारों में सबसे गरीब) परिवारों के लिए आवंटन पहचाने गए परिवारों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

एफपीएस तक खाद्यान्न का परिवहन

- खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाती है। केंद्र, विशेष रूप से एफसीआई, खरीद से लेकर उपभोग करने वाले राज्यों तक खाद्यान्न के अंतरराज्यीय परिवहन के साथ-साथ राज्य के गोदामों तक अनाज पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। एक बार जब एफसीआई राज्य के डिपो में अनाज पहुंचाता है, तो अंतिम उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न का वितरण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एक सरकार के नेतृत्व वाला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पात्र व्यक्तियों और परिवारों को रियायती कीमतों पर आवश्यक खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुएं प्रदान करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ अलग-अलग देशों में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर, यह कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करती है:

1. **खाद्य सुरक्षा:** पीडीएस के प्राथमिक लाभों में से एक आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को किफायती कीमतों पर आवश्यक खाद्यान्न (जैसे चावल, गेहूं और दालें) प्रदान करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे भूख और कुपोषण को कम करने में मदद मिलती है।
2. **गरीबी निर्मूलन:** पीडीएस बाजार से कम कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराकर कम आय वाले परिवारों पर आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करता है। इससे आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।
3. **मूल्य स्थिरता:** नियंत्रित कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके, पीडीएस बाजार में कीमतों को स्थिर करने में मदद करता है। यह खाद्य कीमतों में अचानक बढ़ोतरी को रोक सकता है, जिससे सामान्य आबादी के लिए मुख्य खाद्य पदार्थ अधिक किफायती हो जाते हैं।
4. **भोजन की कमी को कम करना:** प्राकृतिक आपदाओं, फसल की विफलता या भोजन की कमी के समय, पीडीएस खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके एक बफर के रूप में कार्य कर सकता है, जो कमजोर आबादी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
5. **ग्रामीण विकास:** पीडीएस कृषि उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराकर और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर सकता है। किसान अक्सर अपनी उपज पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए सरकार को बेचते हैं।
6. **पोषण संबंधी सहायता:** पीडीएस आबादी के पोषण सेवन में सुधार करने में योगदान दे सकता है, क्योंकि इसमें अक्सर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों जैसे विशिष्ट समूहों के लिए गढ़वाले खाद्य पदार्थों और पूरक पोषण का वितरण शामिल होता है।
7. **ग्रामीण रोजगार:** पीडीएस के माध्यम से खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण और वितरण, आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में श्रम की मांग पैदा करके, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।
8. **सामाजिक सुरक्षा जाल:** पीडीएस एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जो आबादी के सबसे कमजोर वर्गों को

आर्थिक संकट या आपात स्थिति के दौरान खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करता है।

9. **बिचौलियों पर निर्भरता कम:** लाभार्थियों को सीधे खाद्य पदार्थ वितरित करके, पीडीएस बिचौलियों के प्रभाव को कम करता है और उन्हें कमजोर उपभोक्ताओं और किसानों का शोषण करने से रोकता है।
10. **किसानों के लिए मूल्य समर्थन:** पीडीएस कार्यक्रम अक्सर किसानों को उचित मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए एक गारंटीकृत बाजार प्रदान करते हैं, जो कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकता है और किसानों की आय की अस्थिरता को कम कर सकता है।
11. **घरेलू कृषि को बढ़ावा:** पीडीएस स्थानीय स्तर पर उत्पादित खाद्यान्नों की खरीद करके घरेलू कृषि को बढ़ावा दे सकता है, जिससे स्थानीय किसानों को लाभ होगा।
12. **सार्वजनिक स्वास्थ्य:** पोषक तत्वों की खुराक सहित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करके, पीडीएस बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान दे सकता है, खासकर हाशिए पर रहने वाली आबादी के बीच।
13. महिला सशक्तिकरण:पीडीएस राशन कार्ड और वितरण के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें सशक्त बना सकता है, जिससे उन्हें घरेलू खाद्य सुरक्षा पर अधिक नियंत्रण मिल सके।

➢ हालाँकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कई लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसमें चुनौतियाँ भी शामिल हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, अक्षमता और लक्ष्यीकरण त्रुटियों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इन चुनौतियों से निपटना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पीडीएस के लाभ लक्षित लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियाँ या समस्याएँ

➢ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन इसे कई चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो क्षेत्र और देश के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। पीडीएस से जुड़ी कुछ सामान्य चुनौतियाँ और मुद्दे शामिल हैं:

1. **लाभार्थियों की पहचान:** सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित लाभार्थियों की पहचान करना और उन्हें लक्षित करना एक चुनौती हो सकती है। अकुशल लक्ष्यीकरण के परिणामस्वरूप समावेशन त्रुटियाँ (लाभ प्राप्त करने वाले अयोग्य व्यक्ति) और बहिष्करण त्रुटियाँ (पात्र व्यक्ति लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं) दोनों हो सकती हैं।
2. **रिसाव और भ्रष्टाचार:** सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक वितरण प्रणाली में रिसाव है, जहां लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले भोजन और आवश्यक वस्तुओं को खुले बाजार में भेज दिया जाता है। पीडीएस में भ्रष्टाचार में चोरी, माल की हेराफेरी और कालाबाजारी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।
3. **वस्तुओं की गुणवत्ता:** पीडीएस के माध्यम से वितरित खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की गुणवत्ता चिंता का विषय हो सकती है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लाभार्थियों को अच्छी गुणवत्ता वाले और प्रदूषण रहित उत्पाद प्राप्त हों।
4. **आपूर्ति श्रृंखला और रसद:** पीडीएस के भीतर वस्तुओं की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण का प्रबंधन करना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अकुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के परिणामस्वरूप देरी, खराबी और बर्बादी हो सकती है।
5. **स्टॉक प्रबंधन:** उचित भंडारण बुनियादी ढांचे को बनाए रखना और खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना एक समस्या हो सकती है। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं वस्तुओं के खराब होने और क्षति का कारण बन सकती हैं।
6. **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मुद्दे:** कुछ पीडीएस प्रणालियों में, धोखाधड़ी को रोकने के लिए लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है। हालाँकि, बायोमेट्रिक पहचान से संबंधित मुद्दे, जैसे कि खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के कारण प्रमाणित करने में विफलता, लाभार्थियों के लिए कठिनाइयों का कारण बन सकती है।
7. **प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी:** पीडीएस के आधुनिकीकरण में अक्सर लाभार्थियों की पहचान और वितरण के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग शामिल होता है। खराब प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में, यह एक चुनौती हो सकती है।
8. **अनियमित आपूर्ति:** सब्सिडी वाली वस्तुओं की उपलब्धता अनियमित हो सकती है, जिसका अर्थ है कि लाभार्थियों को लगातार उनके अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जिससे अनिश्चितता पैदा होगी।
9. **मूल्य नियंत्रण:** यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है कि सब्सिडीयुक्त सामान सही कीमत पर उपलब्ध हो। व्यापारी इन वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेचने का प्रयास कर सकते हैं।
10. **वित्तीय स्थिरता:** पीडीएस की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना सरकारों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सब्सिडी वाली वस्तुओं की खरीद और वितरण महंगा हो सकता है।
11. **सुधारों का विरोध:** पीडीएस को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए सुधारों को लागू करने पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब यह बिचौलियों और सिस्टम में भ्रष्टाचार से लाभान्वित होने वाले लोगों के हितों को प्रभावित करता है।
12. **नौकरशाही लालफीताशाही:** वितरण प्रक्रिया में अत्यधिक नौकरशाही लाभार्थियों को लाभ के वितरण को धीमा कर सकती है और अक्षमताएं पैदा कर सकती है।
13. **प्रतिस्पर्धा का अभाव:** कुछ मामलों में, खरीद और वितरण में प्रतिस्पर्धा की कमी दक्षता और लागत-प्रभावशीलता में बाधा बन सकती है।
14. **पर्यावरणीय प्रभाव:** पीडीएस में जल-गहन फसलों पर अत्यधिक जोर देने से पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं, खासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इन चुनौतियों और समस्याओं के

समाधान के लिए प्रभावी शासन, प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान, पारदर्शिता और लक्ष्यीकरण और वितरण तंत्र में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ इच्छित लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक पहुंचे।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए विभाग द्वारा ओएनओआरसी योजना लागू की जा रही है। इसके माध्यम से एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र राशन कार्ड धारक/लाभार्थी देश में कहीं से भी अपनी पात्रता प्राप्त कर सकते हैं।
- पार्थ मुखोपाध्यायप्रवासन पर कार्य समूह ने 2017 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पोर्टेबिलिटी और इसके लाभों की सिफारिश की।
- बाद में, सरकार ने अप्रैल 2018 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन शुरू किया।
- लाभ - नई प्रणाली एफपीएस पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान करेगी।
- इसके तहत प्रवासी को पारिवारिक कोटे का अधिकतम 50% सामान खरीदने की अनुमति होगी।
- अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पोर्टेबिलिटीराशन कार्डों की.
- आईएमपीडीएस पोर्टल पर अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी।
- इंट्रा स्टेट अन्नवितरण पोर्टल - लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण के लिए ईपीओएस के माध्यम से किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को प्रदर्शित करने के लिए।
- लीकेज रोककर खाद्य सब्सिडी बिल को नियंत्रित कर सकते हैं।
- फर्जी राशन कार्ड हटायाएकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से धारक।

एक राशन कार्ड लागू करने में चुनौतियाँ:

- आधार प्रमाणीकरण- केवल 85.41% राशन कार्ड आधार से जुड़े लेकिन फिर भी एक अंतर है।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी-खासतौर पर दूरदराज के इलाकों में बाधा साबित होते हैं।
- ईपीओएस - 79,050 में से केवल 37,392 एफपीएस के पास ईपीओएस मशीनें हैं और पश्चिम बंगाल और बिहार में यह और भी कम है।
- प्रवासन पर डेटा में भारी अंतर -अनियोजित संकटग्रस्त प्रवासन और प्रवासन के पैटर्न का रिकॉर्ड रखने के लिए उचित तंत्र की कमी।
- संघीय संबंध- कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी से एक-दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण की चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
- अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को हतोत्साहित करनाउनकी जनसंख्या को पोषण संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में।

पीडीएस बनाम नकद हस्तांतरण

पीडीएस के लाभ

- लाभार्थियों को मुद्रास्फीति और मूल्य अस्थिरता से बचाता है
- यह सुनिश्चित करता है कि पात्रता का उपयोग केवल खाद्यान्न के लिए किया जाए
- एफपीएस का सुविकसित नेटवर्क दूरदराज के इलाकों में भी खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित करता है

पीडीएस के नुकसान

- प्रत्येक घर से खाद्यान्न का कम उठाव
- सब्सिडी वाले खाद्यान्न का उच्च रिसाव और डायवर्जन
- खाद्यान्न में मिलावट
- कम मार्जिन के कारण एफपीएस की व्यवहार्यता में कमी

नकद हस्तांतरण के लाभ

- गरीबों के हाथ में नकदी आने से उनके विकल्प बढ़ जाते हैं
- नकदी गरीबों के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर कर सकती है, बचत समितियां बनाना और ऋण तक पहुंच संभव बना सकती है
- नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों की प्रशासनिक लागत अन्य योजनाओं की तुलना में काफी कम हो सकती है
- इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण करने की संभावना

कैश ट्रांसफर के नुकसान

- नकदी का उपयोग गैर-खाद्य वस्तुएं खरीदने के लिए किया जा सकता है
- प्राप्तकर्ताओं को मूल्य अस्थिरता और मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ सकता है
- कुछ क्षेत्रों में बैंकों और डाकघरों तक पहुंच कम है

कृषि में ई-प्रौद्योगिकी

- ई-टेक्नोलॉजी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है। इसमें इंटरनेट और संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिनका उपयोग हाल के वर्षों में सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा है।
- कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रभाव का मूल्यांकन मोटे तौर पर दो श्रेणियों के अंतर्गत किया जा सकता है।
- पहला, सूचना प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादकता में प्रत्यक्ष योगदान का एक उपकरण है।
- दूसरे, कृषि विशेषज्ञों को सूचित और गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के एक अप्रत्यक्ष उपकरण के रूप में, इसका कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग, जिसे अक्सर एगटेक कहा जाता है, उत्पादकता, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाकर कृषि क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखता है। यहां कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं जिनसे कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है:

1. **परिशुद्धता कृषि:** सटीक कृषि में मिट्टी की स्थिति, मौसम और फसल स्वास्थ्य पर डेटा एकत्र करने के लिए जीपीएस, ड्रोन और सेंसर जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना शामिल है। इस डेटा

का उपयोग रोपण, सिंचाई और उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए किया जाता है। परिशुद्ध कृषि से फसल की पैदावार में सुधार हो सकता है, संसाधनों का उपयोग कम हो सकता है और पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सकता है।

2. **फार्म प्रबंधन सॉफ्टवेयर:** फार्म प्रबंधन सॉफ्टवेयर और ऐप्स किसानों को उनके कार्यों की अधिक कुशलता से योजना बनाने और निगरानी करने में मदद करते हैं। वे इन्वेंट्री पर नजर रखने, वित्त प्रबंधन, कार्यों को शेड्यूल करने और डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं।
3. **IoT और सेंसर:** इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरण और सेंसर वास्तविक समय में खेत की स्थितियों की निगरानी कर सकते हैं। ये सेंसर मिट्टी की नमी, तापमान और आर्द्रता को माप सकते हैं, साथ ही पशुधन के स्थान और स्वास्थ्य को भी ट्रैक कर सकते हैं। किसान इस डेटा का उपयोग समय पर समायोजन करने और अपने संचालन को अनुकूलित करने के लिए कर सकते हैं।
4. **स्वचालन और रोबोटिक्स:** स्वायत्त ट्रैक्टर, रोबोटिक वीडर और हार्वेस्टर सहित स्वचालन तकनीक, श्रम लागत को कम करने और रोपण, निराई और कटाई जैसे कार्यों की दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये प्रौद्योगिकियाँ कृषि में श्रम की कमी को दूर करने में भी मदद करती हैं।
5. **जैव प्रौद्योगिकी और जीएमओ:** जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति से आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) का विकास हुआ है जो कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हैं, सूखा-सहिष्णु हैं, या पोषण सामग्री में सुधार हुआ है। ये आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें फसल की पैदावार बढ़ा सकती हैं और रासायनिक आदानों की आवश्यकता को कम कर सकती हैं।
6. **डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा:** सेंसर और उपग्रहों जैसे विभिन्न स्रोतों से बड़े डेटासेट का संग्रह और विश्लेषण, किसानों को फसल प्रबंधन, उपज भविष्यवाणी और संसाधन आवंटन के बारे में अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
7. **ऊर्ध्वाधर खेती और हाइड्रोपोनिक्स:** ऊर्ध्वाधर खेती और हाइड्रोपोनिक्स सहित इनडोर खेती के तरीके, सीमित स्थानों में फसलों को कुशलतापूर्वक उगाने के लिए नियंत्रित वातावरण, एलईडी प्रकाश व्यवस्था और सटीक पोषक तत्व वितरण प्रणाली का उपयोग करते हैं। यह तकनीक साल भर खेती की अनुमति देती है और पानी और कीटनाशकों के उपयोग को कम करती है।
8. **ब्लॉकचेन:** खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में ट्रेसबिलिटी और पारदर्शिता में सुधार के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। यह कृषि उत्पादों की उत्पत्ति और गुणवत्ता को सत्यापित करने और खाद्य धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने में मदद करता है।
9. **मौसम पूर्वानुमान और जलवायु मॉडलिंग:** उन्नत मौसम पूर्वानुमान और जलवायु मॉडलिंग उपकरण किसानों को मौसम के पैटर्न और उनकी फसलों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करते हैं। यह जानकारी उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों को तदनुसार अनुकूलित करने में मदद करती है।
10. **मोबाइल ऐप्स और कनेक्टिविटी:** मोबाइल ऐप्स और स्मार्टफोन किसानों को बाजार कीमतों, मौसम पूर्वानुमान और सर्वोत्तम प्रथाओं पर बहुमूल्य जानकारी तक पहुँच प्रदान करते हैं। मोबाइल प्रौद्योगिकी वित्तीय लेनदेन के लिए मोबाइल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं की भी सुविधा प्रदान करती है।
11. **ड्रोन:** कैमरे और सेंसर से लैस ड्रोन का उपयोग फसल की निगरानी, कीटों का पता लगाने और बड़े खेतों के हवाई सर्वेक्षण के लिए किया जा सकता है। वे डेटा एकत्र करने और सूचित निर्णय लेने का एक लागत प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं।
12. **पशुधन प्रौद्योगिकी:** प्रौद्योगिकी का उपयोग पशुधन स्वास्थ्य, प्रजनन और भोजन को ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। पहनने योग्य उपकरण और सेंसर वास्तविक समय में जानवरों के स्वास्थ्य और व्यवहार की निगरानी कर सकते हैं।
13. **कृषि वित्त प्रौद्योगिकी (एग्री-फिनटेक):** एग्री-फिनटेक समाधान किसानों को ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपने वित्त का प्रबंधन करने और जोखिम कम करने में मदद मिलती है।

- कृषि में प्रौद्योगिकी को अपनाने से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के साथ-साथ भोजन की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इसमें किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाकर उनकी आजीविका में सुधार करने की भी क्षमता है।

कृषि विपणन

- कृषि विपणन उन विभिन्न सेवाओं को संदर्भित करता है जो किसान की कृषि उपज को उपभोक्ता से जोड़ती हैं।
  इसमें परिवहन, भंडारण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- भारत में कृषि विपणन को देश के विभिन्न राज्य विपणन कानूनों के तहत स्थापित ~ 22,505 ग्रामीण प्राथमिक बाजारों (आरपीएम) और ~ 7190 थोक बाजारों के नेटवर्क के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है।
- भारत में कृषि उपज का विपणन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति [एपीएमसी] अधिनियम द्वारा शासित होता है। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य को अलग-अलग मंडियों में विभाजित किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा गठित एक बाजार समिति के तहत कार्य करती हैं।
- एक किसान केवल अधिकृत व्यापारियों को ही बेच सकता है और कमीशन एजेंटों को किसानों द्वारा लाई गई कृषि उपज की खरीद और वितरण करने की अनुमति है।

भारत में कृषि विपणन के मुद्दे/चुनौतियाँ/समस्याएँ

1. **एपीएमसी का एकाधिकार:** किसान को अपनी उपज बेचने के लिए उपलब्ध विकल्पों की संख्या को सीमित करता है और कृषि बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम करता है।
2. **प्रवेश बाधा:** विनियमित बाजारों में कमीशन एजेंट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक दुकान/गोदाम का मालिक होना अनिवार्य है, जो नए खिलाड़ियों को प्रतिबंधित करता है।
3. **मंडियों का असमान प्रसार:** पूरे भारत में विनियमित बाजारों के घनत्व में भारी भिन्नता है। उदाहरण के लिए, प्रति 118 वर्ग किलोमीटर पर एक विनियमित बाजार है। पंजाब में जबकि मेघालय में यह प्रति 11,214 वर्ग किमी पर एक बाजार है।
4. **बर्बादी:** एपीएमसी में उचित गोदामों, कोल्ड स्टोरेजों का अभाव है जिसके कारण 30 प्रतिशत उपज बर्बाद हो जाती है।
5. **एपीएमसी आयोग और कर:** राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित बाजार शुल्क उपज के बिक्री मूल्य का 0.50% से 2.0% के बीच होता है। कमीशन शुल्क भी खाद्यान्न में 1% से 2.5% और फलों और सब्जियों में 4% से 8% तक होता है। कुछ राज्यों में, ऐसे सभी करों की कुल राशि लगभग 15% तक है जो अत्यधिक है।
6. **गुटबंदी:** यह मंडियों में वस्तुओं की वास्तविक कीमत की खोज को रोकता है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना के कार्यान्वयन के दौरान व्यापारियों ने मंडियों में कीमतें कम करने की साजिश रची।
7. **गैर-एकरूपता:** प्रत्येक एपीएमसी उनकी संबंधित राज्य सरकारों के अधिनियम के अंतर्गत आती है।
8. **खराब भंडारण और भंडारण सुविधाएं:** भारत में भंडारण और भण्डारण सुविधाएं अपर्याप्त हैं, जिससे कृषि उपज की बर्बादी होती है और किसानों का मुनाफा कम हो जाता है।
9. **अकुशल परिवहन अवसंरचना:** भारत में अपर्याप्त परिवहन बुनियादी ढांचा है, जिससे परिवहन लागत बढ़ती है और वैश्विक बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है।
10. **अपर्याप्त बाजार जानकारी:** भारत में किसानों के पास अक्सर बाजार की जानकारी का अभाव होता है, जिससे उनके लिए अपने उत्पाद बेचने के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है।
11. **कीमत में उतार-चढ़ाव:** भारत में कृषि उत्पादों की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं, जिससे किसानों के लिए अपने उत्पादन और विपणन गतिविधियों की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है।

भारत में कृषि विपणन की पहल/सुधार

1. **कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम):**
   - उप-योजना ष्कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) के तहत कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी प्रदान करता है।
2. **मॉडल अनुबंध खेती अधिनियम, 2018:**
   - यह अनुबंध खेती को कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) के दायरे से बाहर ले जाता है।
   - इसके बजाय यह एक पंजीकरण और समझौता रिकॉर्डिंग समिति की स्थापना करता है, जिसके तहत सभी अनुबंधों को पंजीकृत करना होता है।
   - मॉडल अधिनियम में विवाद समाधान के प्रावधान शामिल हैं, जैसे: पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए बातचीत और सुलह, मामले को नामांकित विवाद निपटान अधिकारी को रेफर करना।
3. **मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम (एपीएलएम), 2017:**
   - यह अधिनियम एपीएमसी अधिनियम, 2003 को प्रतिस्थापित करने के लिए है।
   - इसका उद्देश्य एकल लाइसेंस के साथ एकल कृषि बाजार बनाना है। कृषि उपज और पशुधन दोनों का व्यापार किया जा सकता था।
   - नए मॉडल कानून में प्रत्येक 80 किमी की दूरी पर एक विनियमित थोक कृषि-बाजार की स्थापना को अनिवार्य किया गया है।
   - इसने निजी बाजार प्रांगणों, गोदामों और कोल्ड स्टोरेजों को विनियमित कृषि-बाजार के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी है।
4. **ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम):**
   - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ग्राम कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण बाजारों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और विकास करना है।
   - ग्राम एपीएमसी विनियमन के दायरे से बाहर होंगे।
5. **संपदा (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए योजना)।):**
   - संपदा योजना का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को आधुनिक बनाना है।
   - यह किसानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बीच संबंध प्रदान करेगा।
6. **ऑपरेशन ग्रीन्स:**
   - इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) फसलों की आपूर्ति को स्थिर करना और इन फसलों की कीमत में अस्थिरता को कम करना है।
7. **इलेक्ट्रॉनिक-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM):**
   - इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के माध्यम से देश भर की मंडियों को एक राष्ट्रीय बाजार में एकीकृत करना है।
   - यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को नेटवर्क बनाता है।
   - ई-एनएएम में, भारत में कहीं भी स्थित खरीदार भारत की किसी भी मंडी में ऑर्डर दे सकेगा।
8. **कृषि-बाजार अवसंरचना कोष (एएमआईएफ):**
   - इसे ग्रामीण कृषि बाजारों और विनियमित थोक बाजारों में

कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए नाबार्ड के साथ बनाया गया था।

- एएमआईएफ रुपये का एक कोष है। 2000 करोड़.

9. कृषि-उड़ान:

- यह योजना कृषि में प्रभावी सुधार के लिए कृषि मूल्य श्रृंखला में अपने संचालन को बढ़ाने के लिए चयनित कृषि स्टार्टअप को सलाह देगी।

10. कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपीए)

- इसे शुरुआत में 2010-11 में 7 पायलट राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था
- इसका उद्देश्य किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग के माध्यम से भारत में तेजी से विकास हासिल करना है।

11. राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) की शुरुआत:

- यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को नेटवर्क बनाता है।

12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):

- इसे ख़रीफ 2016 सीजन से लॉन्च किया गया था और यह किसानों द्वारा कम प्रीमियम योगदान के साथ, निर्दिष्ट उदाहरणों में फसल के बाद के जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करता है।

13. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए):

- इसे विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण में समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

14. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई):

- इसे स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र पर एंड-टू-एंड समाधान के साथ केंद्रित तरीके से सिंचाई 'हर खेत को पानी' के कवरेज को बढ़ाने और जल उपयोग दक्षता 'प्रति बूंद अधिक फसल' में सुधार करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियाँ।

15. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा):

- इसका उद्देश्य 2018 के केंद्रीय बजट में घोषित किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।

16. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):

- सरकार ने पशुपालन और मछली पालन से संबंधित गतिविधियां करने वाले किसानों के लिए केसीसी की सुविधा बढ़ा दी है।

17. प्रति बूंद अधिक फसल पहल:

- इसके तहत, पानी के इष्टतम उपयोग, इनपुट लागत को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारत में अनुबंध खेती

- अनुबंध खेती को उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के बीच अग्रिम अनुबंध के तहत कृषि/बागवानी उपज के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है।
- ऐसी व्यवस्था का सार निर्माता/विक्रेता की एक निश्चित प्रकार की कृषि वस्तु, एक समय और कीमत पर और एक ज्ञात और प्रतिबद्ध खरीदार द्वारा आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता है।
- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता किसी भी कृषि उपज के उत्पादन या पालन से पहले किसान और खरीदार के बीच एक समझौते के माध्यम से अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा बनाने की सुविधा प्रदान करता है। [एफएपीएफएस अधिनियम (अनुबंध) खेती अधिनियम)]

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे

1. **जीगारंटी मूल्य:** अनुबंध खेती किसानों को उनकी उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य प्रदान करती है, जिससे उनका मूल्य जोखिम कम हो जाता है और वे अपने उत्पादन और विपणन गतिविधियों की योजना बनाने में सक्षम हो जाते हैं।
2. **बाजारों तक पहुंच:** अनुबंध खेती किसानों को उन बाजारों तक पहुंच प्रदान करती है जहां तक वे अन्यथा नहीं पहुंच पाते, जिससे वे अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने में सक्षम होते हैं।
3. **बेहतर प्रौद्योगिकी और इनपुट:** अनुबंध खेती किसानों को बेहतर तकनीक, बीज और अन्य इनपुट तक पहुंच प्रदान करती है, जो उनकी उत्पादकता और उपज की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद कर सकती है।
4. **लेन-देन लागत में कमी:** अनुबंध खेती से किसानों को खरीदार ढूंढने और कीमतों पर बातचीत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे किसानों और खरीदारों दोनों के लिए लेनदेन लागत कम हो जाती है।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नुकसान

1. **असमान सौदेबाजी की शक्ति:** कई मामलों में, खरीदारों के पास किसानों की तुलना में अधिक सौदेबाजी की शक्ति होती है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को उनकी उपज के लिए कम कीमत मिल सकती है।
2. **गुणवत्ता और मात्रा के मुद्दे:** अनुबंध खेती के लिए किसानों को विशिष्ट मात्रा और गुणवत्ता की उपज की आवश्यकता होती है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए मुश्किल हो सकता है जिनके पास इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं हैं।
3. **खरीददारों पर निर्भरता:** अनुबंध खेती किसानों को खरीदारों पर निर्भर बना सकती है, जो हमेशा किसानों के सर्वोत्तम हित में कार्य नहीं कर सकते हैं।
4. **कानूनी मुद्दों:** अनुबंध खेती समझौते जटिल हो सकते हैं, और किसानों के पास हमेशा कानूनी सलाह तक पहुंच नहीं हो सकती है या वे समझौते की कानूनी शर्तों को समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें

- डॉ. एमएस स्वामीनाथन एक प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में, उन्होंने कृषि पर एक समिति की अध्यक्षता की, जिसने 2006 में ष्राष्ट्रीय किसान आयोगष् शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. **कृषि में निवेश:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को कृषि में निवेश को प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1% तक बढ़ाना चाहिए। यह निवेश अनुसंधान एवं विकास, सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर केंद्रित होना चाहिए।
2. **मृदा स्वास्थ्य:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को मृदा परीक्षण, मृदा संरक्षण और जैविक खेती सहित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए।
3. **जल प्रबंधन:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और कुशल सिंचाई प्रणालियों सहित कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
4. **फसल बीमा:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा प्रदान करना चाहिए।
5. **विपणन और मूल्य निर्धारण:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को ई-मार्केटिंग, अनुबंध खेती और सभी कृषि बाजारों में एकल बाजार शुल्क सहित बाजार सुधारों को बढ़ावा देना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि सरकार को मूल्य निर्धारण पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले।
6. **ग्रामीण बुनियादी ढांचा:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण सड़कों, बिजली और दूरसंचार सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए।
7. **कृषि शिक्षा:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना सहित कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए।

अशोक दलवई समिति की सिफारिशें

- भारत में कृषि में परिवर्तन के उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2017 में अशोक दलवई समिति का गठन किया गया था। समिति ने 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारतीय कृषि में सुधार के लिए कई सिफारिशें शामिल थीं। समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. किसानों की आय दोगुनी करना: समिति ने सिफारिश की कि सरकार को 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए। इसमें उत्पादकता बढ़ाना, फसलों का विविधीकरण, मूल्य श्रृंखला में सुधार और गैर-कृषि रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल है।
2. **कृषि में निवेश:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को कृषि में निवेश को प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1.5% तक बढ़ाना चाहिए। यह निवेश अनुसंधान और विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कृषि विस्तार सेवाओं पर केंद्रित होना चाहिए।
3. **कृषि विपणन:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को ई-मार्केटिंग, अनुबंध खेती और प्रत्यक्ष विपणन सहित बाजार सुधारों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।
4. **जल प्रबंधन:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई और जल भंडारण सुविधाओं के निर्माण सहित कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
5. **फसल बीमा:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा को बढ़ावा देना चाहिए।
6. **कृषि विस्तार सेवाएँ:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को किसानों को सूचना, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करना चाहिए।
7. **उधार की सुविधाएं:** समिति ने सिफारिश की कि सरकार को कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को आसान और किफायती ऋण सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

- ये सिफारिशें भारतीय कृषि में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जल प्रबंधन, फसल बीमा, विपणन और मूल्य निर्धारण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कृषि शिक्षा में निवेश की आवश्यकता पर जोर देती हैं।

किसानों की आय दोगुनी करना

(Doubling Farmers' Income)

- सरकार ने 'किसानों की आय दोगुनी करने (डीएफआई)' से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे हासिल करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी जिसमें विभिन्न नीतियों, सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति शामिल थी।
- कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें राज्य में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए उचित उपाय करती हैं। हालाँकि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है। डीएफआई समिति द्वारा सुझाई गई रणनीति के अनुसार, सरकार ने किसानों के लिए उच्च आय प्राप्त करने के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और कार्यान्वित किया है। इसमे शामिल है:

1. बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि

- वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय (डीएआरई सहित) और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का बजट आवंटन केवल 30223.88 करोड़ था। यह 4.35 गुना से अधिक बढ़कर रु. 2023-24 में 1,31,612.41 करोड़।

2. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता

- 2019 में पीएम-किसान की शुरूआत - एक आय सहायता योजना जो रुपये प्रदान करती है। 6000 प्रति वर्ष 3 समान किश्तों में। रुपये से अधिक. अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.24 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

- छह साल - पीएमएफबीवाई को 2016 में किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं को संबोधित करते हुए लॉन्च किया गया था। कार्यान्वयन के पिछले 6 वर्षों में - 37.66 करोड़ किसान आवेदन पंजीकृत किए गए हैं और 12.38 करोड़ से अधिक (अनंतिम) किसान आवेदकों को दावे प्राप्त हुए हैं। इस दौरान लगभग रु. किसानों द्वारा प्रीमियम के अपने हिस्से के रूप में 25,174 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसके विरुद्ध रुपये से अधिक का दावा किया गया। उन्हें 1,30,185 करोड़ (अनंतिम) का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए उन्हें लगभग रु. दावे के रूप में 517।

4. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

i. से बढ़ाकर रु. 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का लक्ष्य। 2022-23 में 18.5 लाख करोड़.

ii. केसीसी के माध्यम से 4% प्रति वर्ष ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण का लाभ अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया गया है।

iii. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को कवर करने पर ध्यान देने के साथ रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया गया है। 30.12.2022 तक, 389.33 लाख नए केसीसी आवेदन रुपये की स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ स्वीकृत किए गए हैं। अभियान के तहत 4,51,672 करोड़ रु.

5. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना-

i. सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है।

ii. धान (सामान्य) के लिए एमएसपी बढ़कर रु. 2022-23 में 2040 रुपये प्रति क्विंटल। 2013-14 में 1310 प्रति क्विंटल।

iii. गेहूं के लिए एमएसपी रुपये से बढ़ाया गया। 2013-14 में 1400 प्रति क्विंटल से रु. 2022-23 में 2125 प्रति क्विंटल।

6. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना

i. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई थी। 32,384 क्लस्टर बनाए गए हैं और 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिससे 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के किसानों ने नदी के जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ किसानों को अतिरिक्त आय दिलाने के लिए गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक खेती शुरू की है।

ii. सरकार भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से टिकाऊ प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखती है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कटौती करना, किसानों की आय बढ़ाना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित और स्वस्थ मिट्टी, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

iii. उत्तर पूर्व क्षेत्र में मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER) लॉन्च किया गया है। 1,89,039 किसानों को शामिल करके 1,72,966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 379 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।

7. प्रति बूंद अधिक फसल

- प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि, इनपुट की लागत को कम करना और खेत स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2015-16 से पीडीएमसी योजना के माध्यम से अब तक 72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया है।

8. सूक्ष्म सिंचाई निधि

- नाबार्ड के साथ प्रारंभिक कोष 5,000 करोड़ रुपये का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। 2021-22 की बजट घोषणा में फंड का कोष बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये किया जाना है। 17.09 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाली 4,710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

9. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना

i. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 29 फरवरी, 2020 को 2027-28 तक 6865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई।

ii. 30.11.2022 तक 4028 नं. नई एफपीओ योजना के तहत एफपीओ को पंजीकृत किया गया है।

iii. रुपये का इक्विटी अनुदान. 31.12.2022 तक 1,730 एफपीओ को 65.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

iv. 31.12.2022 तक, रु. का क्रेडिट गारंटी कवर। 583 एफपीओ को 101.78 करोड़ रुपये जारी किये गये।

10. एक राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन

➢ (एनबीएचएम)परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 2020 में लॉन्च किया गया है। रु. मधुमक्खी पालन क्षेत्र के लिए 2020-2021 से 2022-2023 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लगभग रु. की सहायता हेतु 114 परियोजनाएँ। 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान अब तक एनबीएचएम के तहत वित्त पोषण के लिए 139.23 करोड़ रुपये स्वीकृत/स्वीकृत किए गए हैं।

11. कृषि यंत्रीकरण

➢ कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों के कठिन परिश्रम को कम करने के लिए कृषि मशीनीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2014-15 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 5,490.82 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसानों को सब्सिडी के आधार पर 13,88,314 मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को किराये के आधार पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 18,824 कस्टम हायरिंग सेंटर, 403 हाई-टेक हब और 16,791 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। चालू वर्ष अर्थात 2022-23 के दौरान अब तक रु. सब्सिडी पर लगभग 75,391 मशीनों के वितरण, 3,468 सीएचसी, 64 हाई-टेक हब और 2281 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए 585.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

12. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना

➢ पोषक तत्वों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं;

i. साइकिल- I (2015 से 2017) - 10.74 करोड़
ii. साइकिल-II (2017 से 2019)- 12.19 करोड़
iii. आदर्श ग्राम कार्यक्रम (2019-20)- 23.71 लाख
iv. वर्ष 2020-21 में- 11.52 लाख

13. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) विस्तार मंच की स्थापना

i. 22 राज्यों और 03 केंद्रशासित प्रदेशों की 1260 मंडियों को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया गया है।
ii. 31.12.2022 तक, 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2. 39 लाख व्यापारियों को ई-एनएएम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।
iii. 7.07 करोड़ मीट्रिक टन और 20.88 करोड़ संख्या (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) की कुल मात्रा, जिसका कुल मूल्य लगभग रु। 31.12.2022 तक ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर 2.42 लाख करोड़ का व्यापार दर्ज किया गया है।

14. खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन -

➢ ऑयल पाम का शुभारंभ-एनएमईओ को 11,040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इससे अगले 5 वर्षों में उत्तर-पूर्वी राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर के साथ ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र आएगा। मिशन का मुख्य फोकस सरल मूल्य निर्धारण फॉर्मूले के साथ उद्योग द्वारा सुनिश्चित खरीद से जुड़े किसानों को ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) की व्यवहार्यता मूल्य प्रदान करना है।

15. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)

➢ वर्ष 2020 में एआईएफ की शुरुआत के बाद से, इस योजना ने देश में 22,354 परियोजनाओं के लिए 16,117 करोड़ रुपये की कृषि बुनियादी ढांचे की राशि मंजूर की है। योजना के सहयोग से, विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया और कुछ बुनियादी ढांचे पूरा होने के अंतिम चरण में हैं। इन बुनियादी ढांचे में 8,752 गोदाम, 4,188 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 2,635 कस्टम हायरिंग सेंटर, 1,217 सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयां, 859 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं, 163 परख इकाइयां और लगभग 4,257 अन्य प्रकार की फसल कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएं और सामुदायिक कृषि संपत्तियां शामिल हैं।

16. कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।

➢ रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से खराब होने वाली कृषि उपज वस्तुओं की आवाजाही को पूरा करने के लिए किसान रेल शुरू की गई है। पहली किसान रेल जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। 31 दिसंबर, 2022 तक 167 मार्गों पर 2359 सेवाएं संचालित की गई हैं।

17. एमआईडीएच - क्लस्टर विकास कार्यक्रम

➢ क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, कटाई के बाद, रसद, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। डीए एंड एफडब्ल्यू ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को सीडीपी के पायलट चरण के लिए चुना गया है।

18. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको सिस्टम का निर्माण

➢ अब तक, वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान 1102 स्टार्टअप को DA-FW के विभिन्न ज्ञान भागीदारों और कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटरों द्वारा अंतिम रूप से चुना गया है। कुल रु. इन स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए संबंधित नॉलेज पार्टनर्स (KPs) और RKVY RAFTAAR एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर (R-ABIs) को DA-FW द्वारा अनुदान सहायता के रूप में 66.83 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है।

19. कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

➢ देश में कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में, कृषि और संबद्ध निर्यात 2020-21 में 41.86 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2021-22 में 50.24 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है यानी 19.99% की वृद्धि।

➢ इन योजनाओं के सकारात्मक कार्यान्वयन के सरकार के प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। श्आजादी का अमृत महोत्सवश के हिस्से के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय दो गुना से अधिक बढ़ाई है।